

अध्याय II

लौह-अयस्क का उत्पादन, निकासी और बिक्री

2.1 लौह-अयस्क का उत्पादन

भारत में लौह-अयस्क का उत्पादन कैप्टिव खनन (सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों में मुख्यतः अपने उपयोग हेतु स्वामित्व वाले तथा परिचालित एकल इस्पात संयंत्रों द्वारा) के साथ साथ नॉन-कैप्टिव खनन (घरेलु खपत और निर्यात हेतु) के माध्यम से होता है। नॉन-कैप्टिव खंड में, सार्वजनिक क्षेत्र में एनएमडीसी लिमिटेड, जो कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है (2016-17 के दौरान उत्पादन: 34 मिलियन टन) तथा ओडिशा उत्खनन निगम लिमिटेड, जो कि ओडिशा सरकार का राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है (2016-17 के दौरान उत्पादन: 6.37 मिलियन टन) प्रमुख कंपनियां हैं।

कंपनी सात परिचालित खदानों के माध्यम से 44 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की कुल औसत उत्पादन क्षमता के साथ लौह-अयस्क का उत्पादन करती है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.1-एनएमडीसी लिमिटेड की खदानों के स्थान और क्षमता

(31 मार्च 2017 को स्थिति)

राज्य	स्थान	खदान	क्षमता (एमटीपीए)
छत्तीसगढ़	किरनडुल कॉम्प्लेक्स, बेलाडिला क्षेत्र	डिपॉजिट 14	5
		डिपॉजिट 11-सी	7
		डिपॉजिट 11-बी	7
	बचेली कॉम्प्लेक्स, बैलाडीला क्षेत्र	डिपॉजिट 5	8
		डिपॉजिट 10 और 11-ए	5
कर्नाटक	डोनीमलाई क्षेत्र	डोनीमलाई खदान	5
		कुमारास्वामी खदान	7

लौह-अयस्क का खनन ओवरबर्डन अर्थात् उपरी मिट्टी को हटाने के बाद ड्रिलिंग और विस्फोट के द्वारा किया जाता है। अयस्क एक्सकेवेटर के माध्यम से डंपरों में भरा जाता है और

स्टेशनरी क्रांशिंग संयंत्र तक पहुंचाया जाता है। क्रश हुआ अयस्क स्क्रीनिंग संयंत्र में विभिन्न आकारों में स्क्रीन किया जाता है और संबंधित स्टॉक यार्ड में कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से ढोये जाते हैं। तदोपरांत, अयस्क ग्राहक के निर्धारित स्थानों पर रेल, स्लरी पाईपलाइन और सड़क मार्ग द्वारा परिवहन किया जाता है। निर्यात एमएमटीसी लिमिटेड, एक चैनलिंग एजेंसी, के माध्यम से विशाखापत्तनम पत्तन से किये जाते हैं।

कंपनी विभिन्न आकार के लौह-अयस्क उत्पाद¹ उत्पादित करती है और डोनीमलाई क्षेत्र के अतिरिक्त, जहां समूची बिक्री माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार ई-निलामी के माध्यम से होती है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खरीददारों के साथ लंबी अवधि के समझौते (एलटीए) के माध्यम से बिक्री करती है। बैलाडिला क्षेत्र में अल्प मात्रा (लगभग 10% प्रतिशत) की बिक्री स्पॉट बाजार के माध्यम से भी की जाती है।

2.1.1 लौह-अयस्क उत्पादन के लिए समझौता जापन लक्ष्यों का अल्प निर्धारण

कंपनी प्रतिवर्ष अपने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात इस्पात मंत्रालय (एमओएस) के साथ एक समझौता जापन (एमओयू) हस्ताक्षरित करती है जिसमें उत्पादन, बिक्री, आरंभ की जा चुकी परियोजनाओं के संबंध में की जाने वाली प्रगति के लिए समय-समय पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 2011-12 से 2016-17 के लिए लौह-अयस्क के उत्पादन के संबंध में समझौता जापन में निर्धारित लक्ष्य और उनके प्रति वास्तविक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:

¹ रन ऑफ माइन (आरओएम), डायरेक्टली रिड्यूस्ड केलिब्रेटेड लंप अयस्क (डीआरसीएलओ), लंप और फाईन्स। खदान से सीधे निकाले गये 10 मिलिमीटर (मिमि) से 150 मि.मि आकार के 65.5 प्रतिशत लौह तत्व (एफई) वाले अयस्क को आरओएम कहते हैं। डीआरसीएलओ 67 प्रतिशत (एफई) के साथ 10 मि.मि से 40 मि.मि के आकार का होता है। लंप अयस्क 65.5 लौह तत्व (एफई) के साथ 6 मि.मि से 40 मि.मि आकार का होता है तथा फाइन अयस्क 64 प्रतिशत लौह तत्व (एफई) के साथ 10 मि.मि से कम आकार का होता है।

तालिका 2.2- लौह-अयस्क के उत्पादन के लिए समझौता जापन लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि

वर्ष	समझौता जापन लक्ष्य ² (मिलियन टन)	वास्तविक लक्ष्य प्राप्त (मिलियन टन)	उपलब्धि (% में)
2011-12*	-	27.26	-
2012-13	26.40	27.18	103
2013-14	26.00	30.02	115
2014-15	29.00	30.44	105
2015-16	33.00	28.57	87
2016-17	33.25	34.00	102

(*2011-12 के लिए वास्तविक उत्पादन को 2012-13 के लिए समझौता जापन लक्ष्य के साथ तुलना हेतु लिया गया है।)

हमने पाया कि:

- समझौता जापन पर डीपीई दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि लक्ष्य यथार्थपरक के साथ विकासोन्मुख होने चाहिए। इस प्रकार, किसी विशेष वर्ष के लिए लक्ष्य पिछले वर्ष की उपलब्धियों से कम नहीं होने चाहिए। तथापि, उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2014-15 तक लौह-अयस्क के उत्पादन के लिए समझौता जापन लक्ष्य पिछले वर्ष के वास्तविक उत्पादन से कम निर्धारित किए गए। वर्ष 2016-17 के लिए, कंपनी द्वारा उसकी नीतिगत प्रबंधन योजना (एसएमपी) में अनुमानित महत्वाकांक्षी विकास योजना को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए गए।
- 2012-16 की अवधि के दौरान कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता 37 एमटीपीए थी, जो अगस्त 2015 के दौरान किरनडुल में परियोजना 11-बी के आरंभ होने के बाद बढ़कर 44 एमटीपीए हो गई। इस क्षमता के प्रति, वर्ष 2012-17 के लिए कंपनी द्वारा उत्पादन लक्ष्य क्रमशः 71, 70, 78, 89 तथा 76 प्रतिशत निर्धारित किए गए।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय की सलाह (27 अक्टूबर 2014) पर, सितंबर 2016 में कंपनी द्वारा नीतिगत प्रबंधन योजना तैयार की गई और उसे अंतिम रूप दिया गया जिसमें वर्ष 2018-19

² उत्कृष्ट स्तर लक्ष्य प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा समझौता जापन में निर्धारित आधार लक्ष्य होते हैं जिन्हें संबंधित सीपीएसई द्वारा प्राप्त किया जाना होता है।

तक लौह-अयस्क का उत्पादन 50 एमटीपीए करना परिकल्पित किया गया। पिछले पांच वर्षों (2012-17) के दौरान 5 प्रतिशत (लगभग) की औसत वार्षिक विकास दर और उत्पादन के वर्धन के लिए आवश्यक सुविधाओं की पूर्णता के अधूरे चरणों पर विचार करते हुये, दो वर्षों की सीमित अवधि के भीतर उत्पादन में 16 एमटीपीए अर्थात 47 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि प्राप्त करना दुष्कर कार्य था।

अल्प लक्ष्यों के निर्धारण के कारणों पर प्रबंधन के उत्तर (मार्च 2018) में कुछ भी नहीं कहा गया। मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि 2015-16 तक उत्पादन क्षमता 37 एमटीपीए थी जो बचेली कॉम्प्लेक्स के स्क्रीनिंग संयंत्र में चौथी लाईन आरंभ होने पर बढ़ाकर 39 एमटीपीए कर दी गई और किरनडुल कॉम्प्लेक्स के डिपॉजिट 11-बी की 7 एमटीपीए क्षमता पर विचार नहीं किया गया क्योंकि अनुवर्ती वर्षों में अन्य प्रसंस्करण और उत्खनन सुविधाएं नियोजित की गई थी। तदनुरूप, 2012-17 के दौरान उत्पादन लक्ष्य 71, 70, 78, 89 तथा 85 प्रतिशत परिगणित किया गया।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डिपॉजिट-11बी के संबंध में 7 एमटीपीए की उत्पादन क्षमता को उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करते समय शामिल किया जाना चाहिए था क्योंकि क्रशिंग संयंत्र और डाउनहिल कन्वेयर अगस्त 2015 में आरंभ हो चुके थे और 2015-16 तथा 2016-17 में उत्पादन हुआ था। तदनुसार, 2012-17 के दौरान केवल 71, 70, 78, 89 तथा 76 प्रतिशत उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किये गए।


2.1.2 कॉरपोरेट लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उत्पादन में कमी

समझौता ज्ञापन लक्ष्यों के अतिरिक्त, वार्षिक उत्पादन लक्ष्य भी क्रियान्वयन निदेशकों और परियोजना अध्यक्षों के साथ सीएमडी द्वारा आयोजित वार्षिक कॉरपोरेट बैठकों में निर्धारित किए गए थे। 31 मार्च 2017 को समाप्त हो रहे पांच वर्षों के दौरान वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों और उत्पादन क्षमता के प्रति कंपनी के वास्तविक उत्पादन का लक्ष्य निम्नानुसार है:

तालिका 2.3- आंतरिक उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
स्वीकृत उत्पादन क्षमता (मिलियन टन में)	37.00	37.00	37.00	37.00	44.00
वार्षिक उत्पादन लक्ष्य- आंतरिक (मिलियन टन में)	32.00	32.20	34.40	37.40	35.20
वास्तविक उत्पादन (मिलियन टन में)	27.18	30.02	30.44	28.57	34.00
वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों के प्रति वास्तविक उत्पादन का %	85	93	88	76	97
स्वीकृत उत्पादन क्षमता के प्रति वास्तविक उत्पादन का %	73	81	82	77	77

चार्ट 2.1 – आंतरिक उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि



हमने पाया कि एस्सार स्लरी पाइपलाइन की अनुपलब्धता (पांच वर्षों में 735 दिन), संचय³ की परिपूर्णता के कारण उत्पादन रोकने (किरन्दुल में 757 शिफ्ट तथा बचेली में 807 शिफ्ट), मात्रा को उठाने हेतु ग्राहकों से आदेशों की कमी, माओवादी समस्याओं (पाँच वर्षों में 459 दिन) और अपर्याप्त निकासी सुविधाओं अर्थात् रेलवे रेकों की कम आपूर्ति के कारण वास्तविक उत्पादन में कमी थी।

³ संचय थोक सामग्रियों का संचय या भंडारण स्थान है जो थोक सामग्री प्रबंधन प्रक्रिया का भाग है।

प्रबंधन/मंत्रालय द्वारा कमियों के लिए उपरोक्त कारण स्वीकृत किये गए (मार्च/जुलाई 2018)।

2.1.3 नीतिगत प्रबंधन योजना (एसएमपी) में अव्यवहारिक लक्ष्य

कंपनी के पास वर्ष 2009-10 तक कॉर्पोरेट योजना थी। इसके बाद वर्ष 2015-16 तक कोई कॉर्पोरेट योजना नहीं बनाई गई थी। इसके बजाय, उत्पादन और अन्य लक्ष्य वार्षिक रूप से निर्धारित किए गए थे जिस पर 2012-13 की सीएजी की प्रतिवेदन सं. 20 के पैरा 2.1 में पहले भी टिप्पणी की गई थी। प्रशासनिक मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2014 को आयोजित की गई समीक्षा बैठक में विजन दस्तावेज 'एनएमडीसी 2025' तैयार करने का सुझाव दिया क्योंकि कंपनी 2018-19 तक 75 एमटीपीए तथा 2021-22 तक 100 एमटीपीए का उत्पादन करना चाहती थी। घरेलू बाजार में मौजूद ग्राहकों का, निर्यातों एवं कैपटिव उपयोग की संभावित मात्रा का मूल्यांकन करने के पश्चात कंपनी द्वारा नियुक्त⁴ किए गए (जनवरी 2015) परामर्शदाता मै. एक्सचेंजर ने सुझाव दिया (मई 2015) कि 75 एमटीपीए तथा 100 एमटीपीए के उत्पादन की प्राप्ति के अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त करना निम्नलिखित कारणों से कठिन होगा:

- लौह अयस्क के अधिक उत्पादन का वैश्विक रुझान वर्ष 2025 तक जारी रहेगा।
- इस्पात उत्पादन क्षमता में गिरावट के कारण आगामी 5 से 10 वर्षों तक लौहअयस्क की अधिक-आपूर्ति जारी रहेगी।
- प्रस्तावित खानों की क्षमताओं पर विचार करने के बावजूद कंपनी परिकल्पित 100 एमटीपीए के प्रति केवल 87 एमटीपीए का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने योग्य होगी।
- इसके अतिरिक्त, 75/100 एमटीपीए बेचने के लिए कंपनी को इस्पात संयंत्र जिसकी स्थापना कंपनी द्वारा नगरनार, छत्तीसगढ़ में की जा रही है, हेतु निर्धारित आवश्यकता के अलावा 29.2 एमटीपीए तथा 45.2 एमटीपीए की मात्रा हेतु घरेलू बाजार में मौजूदा ग्राहकों से अधिक ढूंढने होंगे।

⁴ परामर्शदाता, मै. एक्सचेंजर की नियुक्ति ₹0.57 करोड़ की फीस पर की गई थी।


परामर्शदाता के उपरोक्त मत के बावजूद कंपनी ने नीतिगत प्रबंधन योजना (एसएमपी)-विज़न 2025 (अक्टूबर 2015) को जारी रखा जो निम्नलिखित की परिकल्पना करती थी:

- लौह अयस्क खनन क्षमता को 2018-19 तक 75 एमटीपीए तथा 2021-22 तक 100 एमटीपीए तक बढ़ाना।
- अन्वेषण कार्यकलापों को सुदृढ करना और समस्त सामग्री को मूल्य वर्धित कारोबार (पैलेट तथा इस्पात) को भेजना।
- एनएमडीसी से संबंधित वृद्धि संभावना और देश के महत्व के आधार पर अन्य वस्तुओं में नीतिगत रूप से विविधिकरण करना।
- 'खनन और कारोबार संभावना' के आधार पर चयन करके अन्य भौगोलिक स्थानों पर निवेश करना।

2.1.4 संशोधित नीतिगत प्रबंधन योजना - विज़न 2025

एसएमपी में प्रक्षेपणों एवं अवधारणाओं पर निकट भविष्य में नियंत्रित बाजार स्थिति जारी रहने की संभावना, और विशेषज्ञों द्वारा लौह अयस्क के दीर्घावधि कीमत अनुमान में संशोधन और विशेष रूप से ओडिशा से लौह अयस्क आपूर्ति में बहुत अधिक वृद्धि के आधार पर पुनः विचार किया गया (फरवरी 2016)। वर्ष 2011 से 2016 तक अन्तर्राष्ट्रीय लौह एवं इस्पात कीमतों के रुझान के ब्यौरें निम्नानुसार हैं:

चार्ट 2.2 – लौह अयस्क एवं इस्पात की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें




स्रोत: लौह अयस्क फाइन्स 62% प्रति मीट्रिक टन दरें और अंतर्राष्ट्रीय इस्पात कीमते (यूएसडी में) Marketindex.com.au/iron ore से डाउनलोड की गईं

उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अक्टूबर 2015 में मूल एसएमपी - विज़न 2025 की तैयारी करते समय अंतर्राष्ट्रीय लौह अयस्क कीमतों में यूएस \$187 (फरवरी 2011) इसकी उच्च कीमत से यूएस \$53 (अक्टूबर 2015) तक गिरावट आ चुकी थी जो गिरावट का रुझान दर्शाती है। इसी प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय इस्पात कीमतों में भी गिरावट का रुझान दिखाई दिया क्योंकि कीमतों में अप्रैल 2013 में यूएस \$548 प्रति टन के उच्च स्तर से अक्टूबर 2015 के दौरान यूएस \$268 प्रति टन तक की गिरावट आई थी।

घरेलू लौह अयस्क के कीमत रुझान ने भी दर्शाया कि कीमतों में नवंबर 2012 से गिरावट आ रही थी और गिरावट का रुझान अक्टूबर 2015 के दौरान जारी रहा जैसे नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 2.3 लौह अयस्क की घरेलू कीमतें



स्रोत: घरेलू लौह अयस्क कीमतें संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) द्वारा सूचित औसत लौह अयस्क कीमतों पर आधारित थी।

जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू कीमतों में इस गिरावट की मूल एसएमपी में लक्ष्यों को अंतिम रूप देते समय गणना नहीं की गई थी। इसलिए एसएमपी में सितंबर 2016 में संशोधन किया गया था। संशोधित एसएमपी में लक्षित उत्पादन क्षमता को 75 एमटीपीए और 100 एमटीपीए के मूल लक्ष्यों के प्रति क्रमशः 2018-2019 और 2021-22 तक 50 एमटीपीए और 67 एमटीपीए तक कम कर दिया गया था। संशोधित एसएमपी के

प्रक्षेपणों को प्राप्त करने के लिए कंपनी ने निम्नलिखित मुख्य सुविधाओं की योजना बनाई थी:

(i) बैलाडिला सेक्टर:

क) किरन्दुल कॉम्प्लैक्स – डिपोजिट 11-बी और डिपोजिट 14 की क्षमता की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए 12 एमटीपीए स्क्रीनिंग संयंत्र⁵-III का निर्माण

ख) बचेली कॉम्प्लैक्स-

- 7 एमटीपीए के प्रबंधन हेतु डिपोजिट-10 और 11-ए के स्क्रीनिंग संयंत्र में चौथी लाइन
- 10 एमटीपीए के प्रबंधन हेतु डिपोजिट-5 के स्क्रीनिंग संयंत्र में 5वीं लाइन
- 10 एमटीपीए के प्रबंधन हेतु डिपोजिट-5 के डाउनहिल कनवेयर सिस्टम का उन्नयन

ग) संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा डिपोजिट-13 और डिपोजिट-4 का विकास

(ii) डोनिमलाई सेक्टर:

क) डोनिमलाई कॉम्प्लैक्स – स्क्रीनिंग संयंत्र-II और लोडिंग संयंत्र-II का निर्माण।

(iii) बैलाडिला सेक्टर में निकासी सुविधाओं में वृद्धि:

- किरन्दुल से कोठावलासा रेलवे लाइन (केके लाइन) का दोहरीकरण
- छत्तीसगढ़ में रोवघाट और जगदलपुर के बीच रेल लाइन का निर्माण
- बचेली से नगरनार, छत्तीसगढ़ तक दूसरी स्लरी पाइपलाइन

संशोधित एसएमपी और इसके कार्यान्वयन की समीक्षा से पता चला कि:

- यद्यपि कंपनी ने एसएमपी में बढ़े हुए उत्पादन लक्ष्यों का स्पष्ट प्रक्षेपण किया था, जिन्हें 2018-19 तक प्राप्त किया जाना था, फिर भी विभिन्न परियोजनाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के प्रतिष्ठापन को सक्षम बनाने वाली कार्यवाही परिकल्पित समयसीमाओं के अनुसार नहीं थी।

⁵ स्क्रीनिंग संयंत्र निष्कर्षित और क्रशड अयस्क को फाईन्स और लम्प अयस्क में अलग करता है

- संभावित क्रेताओं/बोलीदाताओं के लिए वेबपेज पर निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) देने के अलावा नए ग्राहकों को आकृष्ट करने के लिए नीतियां बनाने के लिए उचित पहल नहीं की गई थी।
- इसके अलावा, विस्तारण परियोजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन में कमियां थीं व सांविधिक मंजूरीयों को प्राप्त करने में असामान्य विलंब हुए थे।

उपरोक्त कमियों पर अगले पैराग्राफों/अध्यायों में विस्तार से चर्चा की गई है।

प्रबंधन/मंत्रालय ने बताया (मार्च/जुलाई 2018) कि खनन परियोजनाओं के लंबे निर्माण समय को ध्यान में रखते हुए विस्तृत ध्येय निर्धारित किए गए थे, बाजार रुझानों का पहले से अनुमान लगाना कठिन था, बेलाडीला सैक्टर में निरंतर ई-नीलामी के द्वारा नए ग्राहकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे थे और पांच लाख टन की क्षमता वाले एक सहायक स्टॉक पाइल का जगदलपुर के निकट विकास किया जा रहा था जिसका प्रचालन दिसंबर 2018 तक अपेक्षित था। एसएमपी में क्षमता बढ़ाने के लिए विस्तृत एकीकृत उपागम शामिल था और तदनुसार सभी कार्यकलापों की योजना बनाई गई थी जिसमें मूल और संशोधित एसएमपी-विज्ञान 2025 की तैयारी के समय पर 2018-19 तक अभीष्ट परियोजनाओं को पूरा करने की व्यवहार्यता शामिल है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2018-19 तक अपेक्षित परियोजनाओं की पूर्णता की संभाव्यता को वास्तविक/संशोधित एसएमपी-विज्ञान 2025 के तैयार किये जाने के समय पर आकलित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, लौह अयस्क और इस्पात मूल्यों में मौजूदा गिरावट वाली प्रवृत्ति को एसएमपी के तैयार किये जाने के समय पर ध्यान में नहीं रखा गया था। इस प्रकार, संशोधित एसएमपी में निर्धारित किये गये लक्ष्य और वर्ष 2018-19 तक उनकी प्राप्ति अनिश्चितता से परिपूर्ण थे।

2.2 पूंजीगत प्रतिस्थापन/ मरम्मत

उत्पादन कार्यकलापों को करने के लिए कंपनी को पूंजीगत उपस्करों, जैसे स्टेकर्स, रि-क्लेमर, वैगन लोडर और हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) की आवश्यकता थी।



चित्र 2.1: स्टेकर



चित्र 2.2 : रि-क्लेमर



चित्र 2.3: वैगन लोडर

स्टेकर का उपयोग स्टॉकयार्ड में परिष्कृत अयस्क के उचित भंडारण हेतु किया जाता है जबकि रि-क्लेमर का उपयोग स्टॉक यार्ड से परिष्कृत अयस्क को वैगन लोडर में डालने हेतु किया जाता है। वैगन लोडर का उपयोग परिष्कृत अयस्क के रेलवे वैगनों में लदान हेतु किया जाता है। इन सभी उपस्करों की निर्धारित स्थानों पर तदनुकूल डिजाइनिंग, असेम्बली, उत्पादन और शुरू करने की आवश्यकता है जिसके लिए कंपनी के विभिन्न विभागों और ठेकेदारों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। पूंजीगत उपस्कर की खरीद पर हमारी टिप्पणियों की नीचे चर्चा की गई है।

2.2.1 स्टेकर, रि-क्लेमर्स और वैगन लोडर की खरीद

कंपनी ने 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान एचईएमएम को छोड़कर पूंजीगत उपस्कर की आपूर्ति हेतु ₹ 55.62 करोड़ मूल्य के 12 खरीद/कार्य आदेश जारी किए थे जिसमें से ₹ 54.20 करोड़ मूल्य के छः खरीद आदेशों की लेखापरीक्षा में जांच की गई थी जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

तालिका 2.4- लेखापरीक्षा में शामिल किए गए पूंजीगत उपस्करों हेतु खरीद आदेशों के ब्यौरे

परियोजना	मद	मूल्य (₹ करोड़)	खरीद आदेश देने की तिथि	आपूर्ति की निर्धारित तिथि
बचेली कॉम्प्लैक्स	लम्प अयस्क स्टेकर	7.87	15.11.2012	31.08.2014
	लम्प अयस्क रिक्लेमर	11.35	01.02.2013	15.10.2014
	वैगन लोडर	8.78	11.10.2013	10.07.2015
किरन्दुल कॉम्प्लैक्स	लम्प अयस्क स्टेकर	7.85	15.11.2012	31.08.2014
डोनीमलाई कॉम्प्लैक्स	लम्प अयस्क रिक्लेमर	10.24	01.02.2013	17.07.2014
	वैगन लोडर	8.11	11.10.2013	18.06.2015
	कुल	54.20		

हमने देखा कि:

- (क) यद्यपि कंपनी ने उपरोक्त उपस्कर की आपूर्ति हेतु बोलियां मंगाने के लिए नवंबर 2008/जनवरी 2009 के दौरान निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) जारी किए थे, फिर भी सभी छह उपस्करों के सम्बन्ध में निविदाओं को अंतिम रूप देने और कार्य आदेश देने में चार से पांच वर्ष का समय लगा। यद्यपि उपस्करों की आपूर्ति जुलाई 2014 और जुलाई 2015 के बीच की जानी थी, फिर भी बचेली कॉम्प्लेक्स में केवल एक रिक्लेमर की आपूर्ति हुई एवं इसे शुरू किया गया था (अप्रैल 2017)।
- (ख) बचेली कॉम्प्लैक्स के संबंध में यद्यपि रिक्लेमर 28.04.2017 अर्थात आपूर्ति की निर्धारित तिथि से ढाई वर्ष के विलंब के पश्चात शुरू किया गया था, फिर भी यह संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा था। अन्य उपस्कर को ठेकेदार द्वारा महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति न करने के कारण अभी शुरू किया जाना था (मार्च 2018)।

(ग) कार्य आदेशों की शर्तों के अनुसार, ठेका प्रदान पत्र जारी होने के 60 दिनों की अवधि में स्थापन और शुरू करने हेतु आरेखणों⁶ को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत एवं कंपनी द्वारा अनुमोदित किया जाना था। हालांकि उक्त हेतु लिया गया वास्तविक समय सभी उपस्करों में 34 माह और 38 माह के बीच था। चूंकि आरेखणों का कंपनी के विभिन्न विभागों द्वारा अनुमोदन आवश्यक था, आरेखणों की प्रस्तुति एवं अनुमोदन हेतु निर्धारित समय वास्तविक तथा तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता।

(घ) निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलंब और इन उपस्करों की आपूर्ति/स्थापन/शुरू न होने के कारण कंपनी को अप्रैल 2012 से सितंबर 2017 की अवधि के दौरान मौजूदा उपस्करों को चलाने हेतु मरम्मत एवं रख-रखाव पर ₹ 7.74 करोड़ (बचेली- ₹ 4.93 करोड़, किरन्दुल ₹ 0.25 करोड़ तथा डोनीमलाई- ₹ 2.56 करोड़) का परिहार्य व्यय करना पड़ा था।

प्रबंधन/मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया और बताया (मार्च/जुलाई 2018) कि आरेखणों के अनुमोदन में समय लगा क्योंकि विभिन्न तकनीकी विभागों द्वारा इसकी जांच करना आवश्यक था और यह पुष्टि की कि उपस्करों को 2018-19 की पहली तिमाही में शुरू कर दिया जाएगा।

2.2.2 हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) की खरीद, प्रदर्शन और उपलब्धता

खनन कार्यों में उपयोग किए गए एचईएमएम अर्थात् शॉवल⁷, डम्पर⁸, ड्रिल, डोजर, ग्रेडर⁹, जल छिडकाव करने वाली मशीन आदि की आवश्यकता का निर्धारण उत्पादित किए जाने वाले

⁶ आरेखणों में सामान्य प्रबंधन आरेखण और मैकेनिकल, संरचनात्मक तथा इलेक्ट्रिकल घटकों के लिए असेम्बली आरेखण शामिल हैं।

⁷ शॉवल बड़े परिणाम की सामग्रियों जैसे मिट्टी, कोयला, बजरी, रेत या अयस्क को खोदने, उठाने और हटाने का एक यंत्र है।

⁸ डंपर निर्माण हेतु खुली सामग्री के परिवहन हेतु उपयोग किया जाने वाला ट्रक है। एक आदर्श रूप डंपर ओपन बॉक्स बैड से सज्जित होता है जो पीछे की तरफ जुड़ा होता है और फ्रंट को उठाने हेतु इसमें हाइड्रोलिक रैम होती है जो बैड में पड़ी सामग्री को आपूर्ति स्थल पर ट्रक के पीछे भूमि पर डालने (डम्प करने) देती है।

⁹ ग्रेडर एक निर्माण मशीन है जिसमें ग्रेडिंग प्रक्रिया के दौरान सतह को सपाट करने के लिए लंबे ब्लेड लगे होते हैं।

अयस्क की मात्रा, अपेक्षित अयस्क की गुणवत्ता, खनन बैंच लीड की स्ट्राइक लैथ¹⁰, लीड अर्थात् खनन क्षेत्र से क्रशिंग संयंत्र की दूरी, निष्फल खनन और परिवहन, तथा अन्य कारकों के आधार पर किया जाता है।

एचईएमएम लौह अयस्क के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एचईएमएम की उपलब्धता और इसका प्रभावपूर्ण उपयोग उत्पादन के नियत लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। प्रत्येक खनन परियोजना में 2012-13 से 2016-17 तक प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के पास उपलब्ध विभिन्न एचईएमएम उपस्कर के ब्यौरे अनुलग्नक-II में दर्शाए गए हैं।



चित्र 2.4: डम्पर

2012-13 से 2016-17 के दौरान कंपनी ने ₹ 184.27 करोड़ मूल्य के एचईएमएम की खरीद हेतु 34 खरीद आदेश दिए जिसमें से ₹ 140.64 करोड़ मूल्य के 13 आदेशों की जांच की गई थी और उस पर की गई टिप्पणियों पर चर्चा निम्नानुसार है:

(क) बीईएमएल बीएच 100 एस मॉडल डंपरों की खरीद

कंपनी ने बचेली कॉम्प्लैक्स के लिए तीन डंपरों की खरीद हेतु निविदा आमंत्रित की थी (अगस्त 2014)। प्रतिक्रियास्वरूप तीन बोलियां¹¹ प्राप्त हुई थी (सितंबर 2014) जिनमें से एक बोली बीईएमएल लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई थी। कंपनी ने बोलियों को अंतिम रूप देते समय (दिसंबर 2014) बचेली और डोनीमलाई परियोजनाओं से मौजूदा बीईएमएल के बनाए गए बीएच 100 एस मॉडल डंपरों के प्रदर्शन पर प्रतिपुष्टि प्राप्त की थी और यह पाया गया कि बीईएमएल डंपरों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। बीईएमएल डंपरों की विफलता हेतु कारणों की जांच करने के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त की गई तकनीकी समिति (जनवरी 2015) का भी मत था (मार्च 2015) कि चूंकि बीईएमएल के बीएच 100 एस मॉडल के डंपर प्रमाणित उत्पाद नहीं थे अतः एनएमडीसी को इनका विकल्प नहीं चुनना चाहिए। निदेशक

¹⁰ स्ट्राइक लैथ अयस्क निष्कर्षण स्थल और क्रशिंग संयंत्र के बीच की दूरी है।

¹¹ जीएमएमसीओ लि. (केटरपिलर का अधिकृत प्रतिनिधि), हैदराबाद, बीईएमएल लि. हैदराबाद और एलएण्डटी लि. हैदराबाद (कोमात्सु का अधिकृत प्रतिनिधि)

(उत्पादन) ने भी तकनीकी समिति के मत को स्वीकार किया (जुलाई 2015) और अन्य मॉडल के डंपरों की खरीद की सिफारिश की। तथापि, निदेशक (वाणिज्य) ने यह कहते हुए बीईएमएल के बीएच 100 एस मॉडल के डंपरों को खरीदने का सुझाव दिया कि बीईएमएल एक सरकारी कंपनी थी, उनका प्रस्ताव तकनीकी रूप से पूर्व पात्रता मानदंड (पीक्यूसी) के अनुरूप था, निविदा सत्यानिष्ठा समझौता¹² द्वारा कवर की गई थी और यह कि बीईएमएल के प्रस्ताव को निरस्त करने से स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर स्तर पर मुकद्दमेबाजी के साथ-साथ विधिक रूप से खरीद करने में और अधिक विलंब हो सकता था। इसके मद्देनजर, कंपनी ने ₹11.58 करोड़ की लागत पर तीन बीएच 100 एस बीईएमएल निर्मित डंपर खरीदे (दिसंबर 2015) और मार्च 2016 में बचेली कॉम्पलैक्स में इन्हें कार्य पर लगाया गया।

हमने देखा कि:

- (i) निविदा में अनुबंधित तथा सभी बोलीदाताओं द्वारा स्वीकृत 85 प्रतिशत के मानदंड के प्रति इन तीन डंपरों की उपलब्धता चालू होने के प्रथम वर्ष अर्थात् 2016-17 के दौरान 82.97 प्रतिशत, 85.23 प्रतिशत तथा 83.55 प्रतिशत थी।
- (ii) कंपनी की तरफ से बेहतर और विश्वसनीय उपस्कर खरीदने के उद्देश्य से निविदा मंगाने से पूर्व पीक्यूसी निर्धारित करने में बीईएमएल डंपरों पर प्रदर्शन प्रतिपुष्टि (उपयोक्ता विभागों से) एकत्र करना विवेकपूर्ण होता। तथापि, प्रतिपुष्टि निविदाएं मंगाने के बाद और बोलियों के मूल्यांकन के समय ही प्राप्त की गई थी। बीईएमएल निर्मित डंपरों के असंतोषजनक प्रदर्शन के बारे में जानकारी के बावजूद कंपनी डंपरों के मूल्यांकन हेतु उक्त कारक को मापदंड के रूप में शामिल करने में पर विफल रही।

¹² सत्यानिष्ठा समझौता सार्वजनिक ठेकाकरण में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सरकार की सहायता करने का साधन है। इसमें वह प्रक्रिया शामिल है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र ठेके के लिए सरकार या सरकारी एजेंसी/पीएसयू और सभी बोलीदाताओं के बीच करार सम्मिलित है जो इस प्रभाव के साथ अधिकार और दायित्व स्थापित करता है कि कोई भी पक्ष न तो रिश्वत देगा, इसका प्रस्ताव रखेगा, मांग या इसे स्वीकार करेगा और न ही बोलीदाता ठेका प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धियों से सांठ-गांठ करेंगे या इसे करते समय प्राधिकरण के प्रतिभागियों को रिश्वत देंगे। एक स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर सत्यानिष्ठा समझौता का अवलोकन करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सभी पक्षों ने सत्यानिष्ठा समझौता के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखा है।

(iii) निदेशक (वाणिज्य) की सिफारिशों की स्वीकृति निविदा संवीक्षा समिति द्वारा बताई गई तकनीकी वांछनीयता/कमियों पर विचार किए बिना विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक शर्तों पर आधारित थी जिसके परिणामस्वरूप अविश्वसनीय उपस्कर की खरीद हुई।

प्रबंधन/मंत्रालय ने बताया (मार्च/जुलाई 2018) कि पीक्यूसी में मई 2016 में उचित रूप से संशोधन किया गया था और भावी खरीद के लिए इसका उपयोग किया जाएगा।

(ख) एनएमडीसी में प्रचालित डंपरों का निष्पादन

कंपनी इसके खनन प्रचालनों में बीईएमएल के साथ-साथ केटरपिलर डंपरों का उपयोग करती है, जिनको खुली प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से खरीदा गया था। इन डंपरों के प्रदर्शन और उपयोग का सभी तीन परियोजनाओं में इन्हें काम पर लगाने की तिथि से विश्लेषण किया गया था। डंपरों के परियोजना वार ब्यौरे और घंटों की वास्तविक संख्या के संबंध में उनके औसत वार्षिक उपयोग के ब्यौरे अनुलग्नक-III में दिए गए हैं। यह देखा गया कि बीईएमएल निर्मित डंपरों का निष्पादन और उपयोग निरंतर मैकेनिकल ब्रेकडाउन/खराबी के कारण कम था। निम्नलिखित तालिका सभी तीन परियोजनाओं में अगस्त 2017 की समाप्ति पर बीईएमएल निर्मित डंपरों की तुलना में केटरपिलर के डंपरों के औसत वार्षिक उपयोग (संख्या घंटे में) की रेंज का सार दर्शाती है:

तालिका 2.5 - एनएमडीसी लि. में परिचालित डंपरों का औसत वार्षिक उपयोग

खनन कॉम्प्लेक्स का नाम	बीईएमएल निर्मित		केटरपिलर निर्मित	
	सं.	औसत वार्षिक उपयोग की रेंज (संख्या घंटे में)	सं.	औसत वार्षिक उपयोग की रेंज (संख्या घंटे में)
बचेली	19	1631 से 4106	1*	2703
किरन्दुल	12	610 से 1768	10	2367 से 2910
डोनीमलाई	11	1269 से 3845	6	3875 से 4141

(स्रोत: संबंधित परियोजनाओं द्वारा संकलित उपस्कर की मासिक निष्पादन रिपोर्ट)

* बचेली कॉम्प्लेक्स में केवल एक केटरपिलर डंपर प्रचालन में था

हमने देखा कि:

- (क) बचेली में 19 बीईएमएल निर्मित डंपरों में से मार्च 2013 में काम पर लगाए गए केवल एक डंपर और मार्च 2016 में काम पर लगाए तीन डंपरों का केटरपिलर डंपर (जून 2003 में काम पर लगाया गया) की अपेक्षा प्रति वर्ष उच्च औसत उपयोग था। 2004-2009 की अवधि के दौरान काम पर लगाए शेष 15 बीईएमएल डंपर का निष्पादन इस तथ्य के बावजूद केटरपिलर डंपर से कम था कि इनका अधिग्रहण केटरपिलर डंपर के बाद किया गया था।
- (ख) यह देखा गया कि केटरपिलर निर्मित डंपरों के औसत वार्षिक उपयोग की रेंज बीईएमएल निर्मित डंपरों के उपयोग से बेहतर थी। केटरपिलर निर्मित डंपरों, जिन्हें 2003, 2005, 2006 और 2011 के दौरान किरन्दुल कॉम्पलैक्स में काम पर लगाया गया था, का औसत उपयोग 2008, 2010 और 2012 के दौरान काम पर लगाए गए बीईएमएल निर्मित डंपरों की अपेक्षा अधिक था।
- (ग) डोनीमलाई कॉम्पलैक्स के संबंध में 2006 में खरीदे गए केटरपिलर डंपरों का औसत वार्षिक उपयोग 2013 के दौरान खरीदे गए बीईएमएल 100 एस डंपरों के औसत वार्षिक उपयोग से अधिक था।

प्रबंधन/मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं दी थी।

(ग) एचईएमएम की उपलब्धता

तीन परियोजनाओं में 2012-13 से 2016-17 के दौरान निर्धारित घंटों¹³, उपलब्ध घंटों¹⁴ और प्रयुक्त घंटों¹⁵ के संबंध में तीन मुख्य एचईएमएम उपस्कर अर्थात् शॉवल, डंपर और ड्रिल की उपलब्धता और उपयोग का विश्लेषण **अनुलग्नक-IV** में दर्शाया गया है।

¹³ निर्धारित (उत्पादन शिफ्ट) घंटे= निर्धारित शिफ्ट घंटे- निर्धारित रख-रखाव घंटे

¹⁴ उपलब्ध घंटे = निर्धारित (उत्पादन शिफ्ट) घंटे- ब्रेकडाऊन घंटे

¹⁵ प्रयुक्त घंटे = उपलब्ध घंटे- रिक्त घंटे (घंटे जिनमें उपस्कर तैयार हैं परन्तु इन्हें काम पर नहीं लगाया गया)

हमने देखा कि उपयोग प्रतिशतता एचईएमएम की उपलब्धता की तुलना में कम थी। कंपनी के गठन के 60 वर्षों के बाद भी सभी तीन परियोजनाओं के लिए एचईएमएम उपस्कर की उपलब्धता और उपयोग हेतु कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए थे। मानक मानदंडों की कमी के परिणामस्वरूप एचईएमएम उपस्कर के प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं हुआ। अतः लेखापरीक्षा यह निर्धारित नहीं कर सकी कि क्या उपस्कर का निष्पादन संतोषजनक था।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2018) कि एचईएमएम उपस्कर की उपलब्धता और उपयोग के मानक मानदंड सभी तीन लौह अयस्क परियोजनाओं अर्थात् किरन्दुल, बचेली और डोनीमलाई कॉम्प्लैक्स के लिए निर्धारित किए गए थे (2002-03)। तत्पश्चात, मेकान द्वारा मानक अध्ययन किया गया था (2017) और संशोधित प्रतिमानों की सिफारिश की गई थी जिसे अगस्त 2017 में सभी परियोजनाओं को भेज दिया गया था।

यह उत्तर तथ्यात्मक रूप से मुख्य एचईएमएम के निष्पादन की समीक्षा करने वाले केंद्रीय खनन योजना एवं डिजाइन संस्थान (सीएमपीडीआई) द्वारा तैयार की गई अध्ययन रिपोर्ट (दिसंबर 2016) के निष्कर्षों के प्रतिकूल है जिसमें देखा गया कि सभी तीन इकाइयों में एचईएमएम की उपलब्धता और उपयोग हेतु कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए थे।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि सीएमपीडीआई ने एचईएमएम के निष्पादन को प्रभारित करने वाले विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए वैज्ञानिक गणना के आधार पर मानक मानदंडों की अनुपलब्धता के बारे में बताया था। तत्पश्चात, मेकान ने मानक अध्ययन किया (अगस्त 2017) और रिपोर्ट सभी परियोजनाओं को भेज दी गई थी।

2.3 क्षमता संवर्धन

कंपनी लौह अयस्क मांग को पूरा करने के लिए इसकी कॉर्पोरेट योजना 2001-2009 के अनुसार 14 एमटीपीए तक इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बैलाडिला में किरन्दुल कॉम्प्लैक्स में 11-बी खदान और डोनीमलाई कॉम्प्लैक्स में कुमारस्वामी लौह अयस्क खान विकसित करना चाहती थी। 31 मार्च 2012 तक निविदाकरण और पैकेज देने और उनके कार्यान्वयन में विलंब को सीएजी की 2012-13 की प्रतिवेदन सं. 20 में दर्शाया गया था।

मौजूदा प्रतिवेदन में कार्यान्वयन में विलंब और 11-बी और कुमारस्वामी खान के शेष कार्यों के समापन को कवर किया गया है।

2.3.1 डिपोजिट 11-बी खान के विकास हेतु पैकेजों का कार्यान्वयन

कंपनी ने बैलाडिला लौह अयस्क डिपोजिट 11-बी के लिए मेकान लिमिटेड को इंजीनियरिंग, ठेका खरीद सेवा एवं परियोजना प्रबंधन तथा निर्माण प्रबंधन सेवा (ईपीसीएम) ठेका प्रदान किया था (जुलाई 2005)। निर्धारित पूर्णता तिथि ठेका देने से 35 माह अर्थात जून 2008 तक थी। परामर्शदाता ने पूरी परियोजना को छः मुख्य पैकेजों तथा चार उप-पैकेजों में बांटा था। 2012-13 से 2016-17 के दौरान प्रत्येक पैकेज में की गई प्रगति के ब्यौरे अनुलग्नक-V में दिए गए हैं।

हमने देखा कि:

- क) पैकेज III - भूमि कार्य और साइट तैयार करने का कार्य अन्य पैकेज ठेकेदारों को कार्य स्थल सौंपने के लिए महत्वपूर्ण था। तथापि, कार्य को नवंबर 2007 की निर्धारित पूर्णता तिथि के प्रति दिसंबर 2009 तक ही पूरा किया जा सका था। इसके परिणामस्वरूप, कार्य स्थल अन्य ठेकेदारों को नहीं सौंपा जा सका था। यह विलंब कार्य की मात्रा के अपर्याप्त आकलन के कारण हुआ था। इस विलंब के साथ साथ परामर्शदाता द्वारा आरेखणों के अनुमोदन में और अधिक विलंब के परिणामस्वरूप कार्यों के कार्यान्वयन में अधिक समय लगा था।
- ख) सभी पैकेजों के कार्यान्वयन में उनकी निर्धारित समापन तिथियों से अधिक विलंब हुआ था। कंपनी/परामर्शदाता ने उचित योजना की कमी, श्रमबल एवं सामग्री के अपर्याप्त परिनियोजन के कारण धीमी प्रगति की वजह से ठेकेदार को विलंब के लिए जिम्मेदार ठहराया।
- ग) ठेकेदारों ने बैंक गारन्टी के विस्तारण, सामग्री की देख-रेख और किए जाने वाले कार्य के अतिरिक्त कार्यक्षेत्र के साथ प्रत्येक पैकेज के विविध समय विस्तारणों के आधार पर अतिरिक्त श्रमबल के परिनियोजन के प्रति अधिक दावे दर्ज कराए।

घ) कंपनी ने अब तक अतिरिक्त कार्यों के लिए ₹10.54 करोड़ सहित ₹358.23 करोड़ (सभी पैकेजों के लिए) की अंतिम ठेका लागत के प्रति ₹315.33 करोड़ का भुगतान किया था (फरवरी 2018)।

ड) कंपनी स्क्रीनिंग सुविधाओं की कमी और अन्य पैकेज कार्यों के पूरा न होने के कारण 7 एमटीपीए की प्रतिष्ठापित क्षमता के प्रति अगस्त 2015 में क्रशिंग संयंत्र और डाउनहिल कनवेयर सिस्टम (पैकेज-I एवं II) को शुरू करने के बाद वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए केवल 0.61 एमटीपीए और 0.58 एमटीपीए लौह अयस्क का उत्पादन कर सकी थी।

प्रबंधन/मंत्रालय ने बताया (मार्च/जुलाई 2018) कि परियोजना में मुख्यतः साइट की स्थितियों के कारण पैकेज- III (भूमि कार्य) में सॉयल नेलिंग तकनीक से ग्राउंटिड नेलिंग तकनीक में प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के कारण विलंब हुआ था जिसका अन्य पैकेज ठेकेदारों को कार्य स्थल सौंपने पर अधोगामी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा, डिजाइन में परिवर्तन, आरेखों के अनुमोदन, स्थानीय बाधाओं, ठेकेदार द्वारा श्रमबल और सामग्री के अपर्याप्त विनियोजन के कारण विलंब हुआ था।

2.3.2 कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना के विकास हेतु पैकेजों का कार्यान्वयन

कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना (केआईओपी) के मार्च 2012 तक के कार्यान्वयन को सीएजी की 2012-13 की प्रतिवेदन सं. 20 में शामिल किया गया था। मौजूदा समीक्षा में 31 मार्च 2012 से 31 दिसम्बर 2017 तक पैकेजों के कार्यान्वयन में प्रगति और उनके विलंब को शामिल किया गया है। परियोजना को मार्च 2012 तक पूर्णता हेतु संशोधित कार्यक्रम के प्रति अभी पूर्ण किया जाना था (दिसंबर 2017)। पैकेजों के ब्यौरें अनुलग्नक-VI में दिए गए हैं।

हमने देखा कि:

क) पैकेजों की अनुबंधित पूर्णता अवधि ठेका के प्रदान पत्र की तिथि से 9 माह और 21 माह के बीच थी। तथापि, वास्तविक पूर्णता अवधि 42 माह और 81 माह के बीच थी (पैकेज--IV और VI को छोड़कर)।

ख) पैकेज-IV (दूरसंचार प्रणाली) की पूर्णता ठेकेदार के श्रमबल और सामग्री के खराब मोबिलाइजेशन के कारण लंबित थी। पैकेज-VI (खान तक पहुँच मार्ग) का कार्य 8.3 कि.मी के समस्त क्षेत्र में से 5.4 कि.मी. की वन विभाग की मंजूरी सुनिश्चित किए बिना दिया गया था। कार्य लंबित था क्योंकि कंपनी को सितंबर 2017 में केवल स्टेज-I वन मंजूरी (एफसी) प्राप्त हुई थी और स्टेज-II एफसी अभी प्राप्त होनी थी।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि 8.3 कि.मी के सड़क कार्य में से 5.3 कि.मी समुचित रूप से पूर्ण किया गया और अन्य 1.3 कि.मी को जून 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। शेष 1.7 कि.मी के लिए वैकल्पिक तकनीकी समाधान को अंतिम रूप दिया जा रहा था।

2.3.3 केआईओपी में आउटसोर्सिंग के माध्यम से उत्पादन

उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केआईओपी में खनन प्रचालन आउटसोर्स किए गए निजी ठेकेदारों से कराए गए थे जिन्होंने छोटे स्केल की मशीनरी के द्वारा खुले खनन क्षेत्र में लौह अयस्क को क्रश और स्क्रीन किया तथा खुली स्थिति (कवर के बिना) में टिपर्स के माध्यम से अयस्क को पहाड़ी के शीर्ष से ग्राहकों की साइट पर भेजा, जो कि तकनीकीकृत खनन से भिन्न था, जहां खुला क्षेत्र प्रचालन कम होते हैं और इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण पर कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।



चित्र 2.5: कुमारस्वामी लोह अयस्क खान में ट्रकों द्वारा लोह अयस्क का परिवहन

डोनीमलाई क्षेत्र में समस्त उत्पादन में कुमारस्वामी खान का योगदान 43 प्रतिशत (2013-14) और 49 प्रतिशत (2014-15 व 2016-17) के बीच था। निम्नलिखित तालिका वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान डोनीमलाई सैक्टर की डोनीमलाई और कुमारस्वामी लौह अयस्क खान में उत्पादित लौह अयस्क और प्रति टन उत्पादन लागत के ब्यौरें दर्शाती है।

तालिका 2.6 - डोनीमलाई तथा कुमारस्वामी खान में लौह अयस्क का उत्पादन और उत्पादन लागत

वर्ष	डोनीमलाई		कुमारस्वामी		समग्र		समग्र उत्पादन में कुमारस्वामी के उत्पादन का %
	उत्पादन (लाख टन में)	लागत प्रति टन (₹)	उत्पादन (लाख टन में)	लागत प्रति टन (₹)	उत्पादन (लाख टन में)	लागत प्रति टन (₹)	
2012-13	43.10	1198.65	39.27	503.87	82.37	867.42	48
2013-14	53.30	1590.41	39.91	437.66	93.21	1096.84	43
2014-15	52.84	1678.90	51.27	536.86	104.11	1116.39	49
2015-16	59.92	1394.18	56.27	342.07	116.19	884.65	48
2016-17	60.99	2241.07	58.99	537.18	119.98	1403.33	49

यह देखा जा सकता है कि कुमारस्वामी खान की उत्पादन लागत समीक्षाधीन पांच वर्षों की अवधि (2012-17) के दौरान डोनीमलाई खान से कम थी। इसके अलावा, कुमारस्वामी खान से आउटसोर्सिंग के माध्यम से उत्पादन डोनीमलाई खान से लौह अयस्क के उत्पादन के करीब-करीब समान था।

चूंकि, केआईओपी का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है तो, कंपनी द्वारा संशोधित एसएमपी-विजन 2025 के अनुसार 2018-19 तक 7 एमटीपीए के परिकल्पित उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना दूरस्थ प्रतीत होती है। इसके अलावा, केआईओपी के लिए रेलवे यार्ड में स्क्रीनिंग संयंत्र और लोडिंग संयंत्र की अनुपलब्धता के कारण कंपनी को केआईओपी में अपेक्षित सुविधाओं के पूरा होने तक खनन की आउटसोर्सिंग का सहारा लेना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप वायू एवं जल प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय समस्याएं हुईं जैसाकि कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इंगित किया था (मार्च 2018)।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2018) कि परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब कंपनी और ठेकेदारों दोनों के कारण हुआ था। पैकेज I एवं II मई 2017 में शुरू किए गए थे और निष्पादन गारन्टी जांच दिसंबर 2017 के दौरान की गई थी। पहुंच मार्ग निर्माण कार्य जुलाई 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। संधारणीय पर्यावरण हितैषी खनन कार्यकलापों को सुनिश्चित

करने के लिए केआईओपी क्रशिंग संयंत्र, डाऊनहिल कनवेयर और स्क्रीनिंग संयंत्र (एसपी-II) सुविधाओं की आवश्यकता तर्क संगत थी जो उत्पादन की आउटसोर्सिंग की बजाय आने वाले समय में कंपनी की सहायता करेगी। प्रबंधन ने यह भी बताया कि स्थानीय ग्रामीणों से शिकायतें और राज्य सरकार से आपत्तियां प्राप्त हुई थी जिसने रेल या कनवेयर के माध्यम से अयस्क के परिवहन को आवश्यक बना दिया जोकि समय की मांग थी।

कंपनी 1992 से आउटसोर्सिंग के माध्यम से उत्पादन कर रही थी। यद्यपि कंपनी ने रेलवे यार्ड के साथ 7 एमटीपीए की क्षमता का लोडिंग संयंत्र स्थापित करने की परिकल्पना की थी, फिर भी अब तक इस मामले पर चर्चा चल रही थी (मार्च 2018)।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि रेलवे परामर्शदात्री कार्य मैसर्स माथा ट्रेक एवं इन्फ्राटैक, सिकंदराबाद को दिया गया था (फरवरी 2018)। ड्राफ्ट तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अंतिम प्रस्तुतिकरण और रेलवे का अनुमोदन प्राप्त करना दिसंबर 2018 तक समापन हेतु निर्धारित था।

2.4 सांविधिक मंजूरीयों की प्राप्ति

कंपनी ने 2018-19 तक 50 एमटीपीए का बढ़ा हुआ उत्पादन प्राप्त करने हेतु किरन्दुल में स्क्रीनिंग संयंत्र-III, डोनीमलाई में स्क्रीनिंग संयंत्र-II के निर्माण, किरन्दुल से कोठावालासा (केके) रेलवे लाइन के दोहरीकरण, स्लरी पाइपलाइन के निर्माण, डिपोजिट-13 और डिपोजिट 4 के विकास की योजना बनाई थी। उपरोक्त सुविधाओं के निर्माण कार्यकलापों के लिए पूर्वापेक्षा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएण्डसीसी) से पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) और स्टेज--I एवं स्टेज-II वन मंजूरी (एफसी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना सहमति (सीएफई) प्राप्त करना था। ईसी और एफसी प्राप्त करने की निर्धारित प्रक्रिया निम्नानुसार है:

(क) पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी)

एमओईएफएण्डसीसी ने दिनांक 14.09.2006 की अधिसूचना के द्वारा सुनिर्धारित समय सीमाओं में नई परियोजनाओं/विस्तारण परियोजनाओं के निर्माण हेतु पर्यावरणीय मंजूरी देने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की थी। परियोजना प्रस्तावक/प्रयोक्ता एजेंसी से आवेदन की प्राप्ति पर

इसका मूल्यांकन विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा किया जाएगा जो संदर्भ शर्तें (टीओआर अर्थात, आवेदक द्वारा पालन की जाने वाली शर्तें) निर्धारित करती है। संदर्भ शर्तों की प्राप्ति के बाद संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जन सुनवाई करनी होगी। पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना (परामर्शदाता द्वारा तैयार की गई) सहित जन सुनवाई के निर्णय आवेदक द्वारा एमओईएफएण्डसीसी को प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त आवेदन का ईएसी द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और ईएसी की सिफारिशों के आधार पर एमओईएफएण्डसीसी पर्यावरण मंजूरी देगा जिसे अंततः उस मामले में स्टेज-I वन मंजूरी पर आवेदक को जारी किया जाएगा जिसमें भूमि में वन भूमि शामिल है।

(ख) वन मंजूरी (एफसी)

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के आधार पर वन (संरक्षण) नियमावली, 2003 निर्धारित समय सीमा में वन भूमि के परिवर्तन हेतु पूर्व अनुमति देने के लिए 10.01.2003 को अधिसूचित की गई थी (जिसमें बाद में 2004 और 2014 में संशोधन किया गया था)। अन्य बातों के साथ-साथ यह नियमावली प्रावधान करती है कि परियोजना प्रस्तावक/प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदन की प्रस्तुति पर संबंधित राज्य का नोडल अधिकारी इसे संबंधित जिला वन अधिकारी को भेजता है। प्रस्तुत सूचना की यथावत जांच में संतुष्टि के पश्चात आवेदन को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से नोडल अधिकारी को भेजा जाता है। परिणामस्वरूप नोडल अधिकारी इसे समीक्षा के बाद राज्य वन विभाग के माध्यम से एमओईएफएण्डसीसी को भेजता है। मंत्रालय द्वारा इस प्रकार प्राप्त आवेदन का मूल्यांकन वन परामर्शदात्री समिति (एफएसी) द्वारा करना आवश्यक है; और एफएसी की सिफारिशों के आधार पर एमओईएफएण्डसीसी स्टेज- I वन मंजूरी (सैधांतिक रूप से) देता है जो आवेदक द्वारा पालन की जाने वाली शर्तें एवं निबंधन निर्धारित करती है। स्टेज-I मंजूरी में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के संबंध में राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट की प्राप्ति पर और क्षतिपूरक वनरोपण और मौजूदा निवल मूल्य (एनपीवी) के प्रति प्रभारों के भुगतान पर अंतिम वन मंजूरी (स्टेज- II) दी जाएगी।

हमने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों में वन और राजस्व विभागों में कंपनी द्वारा उठाई गई उपरोक्त पहलों से संबंधित दस्तावेजों की जांच की और देखा कि कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के लिए मंजूरी प्राप्त करने में देरी हुई थी, जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.4.1 कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना (केआईओपी) में स्क्रीनिंग संयंत्र-II

अवधारणा चरण (अप्रैल 2003) में, कंपनी ने मौजूदा डोनीमलाई खान के प्रतिस्थापन के रूप में केआईओपी के विकास पर विचार किया क्योंकि डोनीमलाई खान में लौह अयस्क भंडार कम हो रहे थे। केआईओपी के लिए एक नया स्क्रीनिंग संयंत्र बनाने के बजाय डोनीमलाई खान के मौजूदा स्क्रीनिंग संयंत्र (एसपी) का उपयोग करने का प्रस्ताव किया गया था। यद्यपि डोनीमलाई में लौह अयस्क खानों का उत्पादन बढ़ाने पर मेकान लिमिटेड ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट¹⁶ (2007) में नए एसपी के लिए सिफारिश की क्योंकि मौजूदा एसपी ने अपना जीवन पूरा कर लिया। इसे शुरुआत में कंपनी द्वारा नहीं माना गया था। हालांकि, डोनीमलाई लौह अयस्क परियोजना (डीआईओपी) में अतिरिक्त भंडारों¹⁷ की पहचान के कारण, कंपनी ने केआईओपी के लिए एक द्वितीय स्क्रीनिंग संयंत्र (एसपी-II) के निर्माण का निर्णय लिया। मेकान ने जून 2013 में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार की और प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) द्वारा यथोचित श्रम (12.09.2014) किया, जिसमें पूंजीगत लागत ₹399.75 करोड़ अनुमानित की गई। इस प्रस्ताव को बोर्ड ने अनुमोदित (28.11.2014) किया और परियोजना के लिए ईपीसीएम सलाहकार के तौर पर एम.एन. दस्तूर एंड कंपनी को नियुक्त किया।

(क) स्क्रीनिंग संयंत्र-II के लिए पर्यावरण मंजूरी

कंपनी ने मार्च 2014 में केआईओपी के स्क्रीनिंग संयंत्र-II हेतु पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के लिए आवेदन किया था। कंपनी द्वारा ईसी की मांग करने में घटनाओं का क्रम, साथ ही प्रत्येक चरण में देरी के कारण, नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

¹⁶ लौह अयस्क खानों का उत्पादन बढ़ाने पर तकनीकी रिपोर्ट-खंड-I डोनीमलाई लौह अयस्क खान

¹⁷ 2010 के बाद खोजे गए अतिरिक्त भंडार 94.70 एमटी थे।

तालिका 2.7 - स्क्रीनिंग संयंत्र-II के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में ध्यान में आये मुद्दे

पर्यावरण एमओईएफएंडसीसी के पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार आपेक्षित कार्रवाई	इआईए अधिसूचना के अनुसार निर्धारित समय	वास्तव में लिया गया समय	अभ्युक्ति/ देरी के लिए कारण
आवेदन दाखिल करने के 60 दिनों के अन्दर संदर्भ शर्तें (टीओआर) जारी की जानी थी।	60 दिन	234 दिन (10.03.2014 से 30.10.2014)	एमओईएफएंडसीसी की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने (मई 2014) में संयंत्र के नाम को स्क्रीनिंग संयंत्र-II से स्क्रीनिंग और बोनिफिसिएशन संयंत्र-II में बदलने की सलाह दी। तदनुसार, कंपनी ने संशोधित आवेदन प्रस्तुत (जून 2014) किया। यद्यपि, 1 जुलाई 2014 से ऑनलाइन प्रणाली के लागू होने के कारण एमओईएफएंडसीसी द्वारा उक्त को नहीं माना गया था। इसलिए, कंपनी ने ऑनलाइन आवेदन पुनः प्रस्तुत किया (सितम्बर 2014)। एमओईएफएंडसीसी ने अक्टूबर 2014 में संदर्भ शर्तें जारी कीं। टीओआर के संशोधन हेतु अनुरोध: टीओआर की प्राप्ति के 10 महिनो बाद, कंपनी ने परियोजना के लिए 39.32 हैक्टेयर से 75.92 हैक्टेयर अपेक्षित भूमि बढ़ जाने के कारण टीओआर के संशोधन हेतु अनुरोध किया (अगस्त 2015)। तदनुसार सितम्बर 2015 में एमओईएफएंडसीसी द्वारा संशोधित टीओआर जारी किया गया था।
कंपनी द्वारा टीओआर में शर्तों के अनुपालन को प्रस्तुत करना	90 दिन	318 दिन (28.09.2015 से 11.08.2016)	संशोधित टीओआर की प्राप्ति के बाद, कंपनी ने ग्राम सभा आयोजित करने लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) से आग्रह किया (अक्टूबर 2015)। यद्यपि, मार्च 2016 के दौरान राज्य

पर्यावरण एमओईएफएवंसीसी के पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार आपेक्षित कार्रवाई	ईआईए अधिसूचना के अनुसार निर्धारित समय	वास्तव में लिया गया समय	अभ्युक्ति/ देरी के लिए कारण
(जैसे पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट मसौदा तैयार करना, पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से ग्राम सभा का आयोजन करना)			पीसीबी ने ग्राम सभा का आयोजन किया और मई 2016 में एमओईएफएवंसीसी को अंतिम कार्रवाई अग्रोषित की। इस प्रकार, ईआईए अधिसूचना में निर्धारित 45 दिनों के मुकाबले पीसीबी ने ग्राम सभा के लिए 7 महिने का समय लिया। कंपनी ने अगस्त 2016 में टीओआर के अनुपालन को प्रस्तुत किया। मामलें को अक्टूबर 2016 में ईएसी (गैर-कोयला) के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था। उक्त को ईएसी (उद्योग-1) को हस्तांतातरित किया था और नवम्बर 2016 में इसके द्वारा समीक्षा की गई थी। ईएसी ने टीओआर की कुछ शर्तों का अननुपालन देखा और कहा कि एक उप समिति परियोजना स्थल का दौरा करें और आगे के विचार के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। कंपनी ने अनुपालन रिपोर्ट (ईएसी द्वारा बताई गई शर्तों के संबंध में) फरवरी 2017 में, अर्थात एमओईएफ द्वारा टीओआर के जारी करने के 17 महीने बाद, प्रस्तुत की।
ईएसी द्वारा बतायी गई कमियों के अनुपालन को प्रस्तुत करना। अंतिम ईआईए	60 दिन	110 दिन (20.02.2017 से 09.06.2017)	ईएसी के निर्देशों के आधार पर, एमओईएफएवंसीसी की उप-समिति ने प्रस्तावित परियोजना के स्थल का दौरा किया और मई 2017 के दौरान ईएसी की आपत्तियों पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इसके आधार पर,

पर्यावरण एमओईएफएवंसीसी के पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार आपेक्षित कार्रवाई	इआईए अधिसूचना के अनुसार निर्धारित समय	वास्तव में लिया गया समय	अभ्युक्ति/ देरी के लिए कारण
रिपोर्ट की प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर ईएसी में प्रस्ताव को मंजूरी			ईएसी ने कंपनी द्वारा चरण-I वन मंजूरी की प्राप्ति के अधीन ईसी प्रदान करने की सिफारिश (जून 2017) की।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा किए गए आवेदन के तीन वर्षों के बाद केआईओपी के स्क्रीनिंग संयंत्र-II के लिए ईसी प्राप्त हुई। संशोधित टीओआर हेतु आवेदन करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने में कंपनी के हिस्से में विफलता के साथ राज्य पीसीबी के ग्राम सभा के आयोजन में देरी और एमओईएफएंडसीसी को अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने में देरी ने ईसी प्राप्त करने में लगने वाले समय में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

(ख) स्क्रीनिंग संयंत्र-II के लिए वन मंजूरी (चरण-I)

कंपनी ने दिसम्बर 2014 में वन मंजूरी (चरण-I) के लिए आवेदन किया। वन नियमों में निर्धारित समय-सारणी के अनुरूप एमओईएफएंडसीसी और राज्य वन एवं राजस्व विभागों में आवेदन का निपटान नीचे दिया गया है।

तालिका 2.8 - स्क्रीनिंग संयंत्र-II के लिए वन मंजूरी (चरण-I) प्राप्त करने में ध्यान में आये मुद्दे

एमओईएफएंडसीसी द्वारा अधिसूचित वन (संरक्षण) नियमावली 2003/2004/2014 के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई	वन अधिनियम द्वारा निर्धारित समय	वास्तव में लिया गया समय	अभ्युक्ति/ विलंब के कारण
कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए ऑन लाईन आवेदन की स्वीकृति	कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई	511 दिन (13.12.2014 से 07.05.2016)	नोडल अधिकारी (एपीसीसीएफ, बैंगलुरु) ने देखा (दिसम्बर 2014) कि कंपनी ने मौजूदा नियमों के अनुसार डिफ्रेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली

एमओईएफएंडसीसी द्वारा अधिसूचित वन (संरक्षण) नियमावली 2003/2004/2014 के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई	वन अधिनियम द्वारा निर्धारित समय	वास्तव में लिया गया समय	अभ्युक्ति/ विलंब के कारण
	<p>क्योंकि स्वीकृति आवेदन की पूर्णता पर निर्भर है</p>		<p>(डीजीपीएस) का उपयोग करके सर्वेक्षण की गई भूमि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।</p> <p>कंपनी द्वारा नया आवेदन प्रस्तुत करना</p> <p>कंपनी ने जुलाई 2015 में डीजीपीएस सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण के आधार पर, भूमि की आवश्यकता प्रस्तावित 39.32 हैक्टेयर के बजाय 75.92 हैक्टेयर पाया गया। इसलिए, डीजीपीएस सर्वेक्षण आयोजित करने के बाद, कंपनी ने अगस्त 2015 में संशोधित आवेदन प्रस्तुत किया और भूमि की आवश्यकता बढ़ने के कारण संशोधित संदर्भ शर्तें (टीओआर) भी जारी करने अनुरोध किया गया। नोडल अधिकारी ने आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रासंगिक जानकारी में कमियों को देखा जो कंपनी को दिनांक 25.08.2015, 03.10.2015, 16.10.2015, 24.11.2015 और 16.02.2016 को सूचित की गई थी। सभी अपेक्षित जानकारी की प्राप्ति (अप्रैल 2016) पर, नोडल अधिकारी ने दिनांक 07.05.2016 को आवेदन स्वीकार</p>

एमओईएफएंडसीसी द्वारा अधिसूचित वन (संरक्षण) नियमावली 2003/2004/2014 के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई	वन अधिनियम द्वारा निर्धारित समय	वास्तव में लिया गया समय	अभ्युक्ति/ विलंब के कारण
			किया। इस प्रकार, नोडल अधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी को प्रस्तुत करने में कंपनी ने 8 महीने अतिरिक्त लिए।
उप- वन संरक्षक (डीसीएफ) बेल्लारी द्वारा 60 दिनों में प्रस्ताव का निपटान	60 दिन	लंबित	नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाईन आवेदन की स्वीकृति पर, कंपनी ने मई 2016 में डीसीएफ को संलग्नको सहित आवेदन की गई हार्ड प्रति प्रस्तुत की। डीसीएफ, बेल्लारी ने कुछ अनिवार्य विवरण (अगस्त 2016) मांगे जैसे (i) क्षतिपूर्ति वनरोपण के लिए वन विभाग को हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्व भूमि का आवंटन (ii) वन अधिकार अधिनियम 2006 के अधीन जिला कलेक्टर से प्रमाण-पत्र। कंपनी द्वारा आवेदन का पुनः प्रस्तुतीकरण कंपनी ने डीसीएफ बेल्लारी को 14 महीने के बाद आवेदन पुनः प्रस्तुत (दिसम्बर 2017) किया वह भी ऊपर मांगे गए पूर्ण विवरण के बिना।

हमने देखा कि दिसम्बर 2014 में एफसी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से पहले, कंपनी ने प्रस्तावित भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया। डीजीपीएस सर्वेक्षण आयोजित करने से पहले, कंपनी ने प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण (अप्रैल 2015) में किया जिसके

परिणामस्वरूप अपेक्षित भूमि का क्षेत्र 39.32 हैक्टेयर से 75.92 हैक्टेयर तक बढ़ गया। इसके अलावा जीवन पर्याप्तता की गणना करने के बाद टेलिंग बांधों 1 एवं 2 के संबंध में अनुमानित 13.40 मिलियन टन की प्रारंभिक क्षमता को घटाकर 8.52 मिलियन टन कर दिया गया। विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद, कंपनी ने वन विभाग को प्रस्तुत करने के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण (जुलाई 2015) किया था। इस प्रकार, कंपनी ने डीजीपीएस सर्वेक्षण करने के लिए 15 महीने (एफसी के लिए आवेदन की तारीख से) का समय लिया और नोडल अधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत की। इसके अलावा, कंपनी ने 14 महीने की समाप्ति के बाद भी डीसीएफ, बेल्लारी द्वारा मांगे (अगस्त 2016) गये जरूरी विवरण अभी तक (दिसम्बर 2017) प्रस्तुत नहीं किए थे।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि उसे आवेदन को ऑनलाईन प्रस्तुत करने के कारण और परियोजना के नाम को बदलने के कारण ईसी/एफसी के लिए आवेदन पुनः प्रस्तुत करना पड़ा। पहले प्रस्तावित एक के बजाय दो टेलिंग बांधों की योजना के कारण 39.32 हैक्टेयर से 75.92 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता के परिवर्तन के कारण इसमें और देरी हुई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने एफसी और ईसी के लिए आवेदन करने से पहले विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया था जिसके कारण वन विभाग को डीजीपीएस मानचित्र प्रस्तुत करने में देरी हुई और टीओआर के संशोधन के लिए आवेदन को पुनः प्रस्तुत किया। इसके अलावा, टेलिंग बांधों के एक से दो बढ़ने के कारण भूमि की आवश्यकता नहीं बढ़ी थी क्योंकि कंपनी ने पहले बताये दो टेलिंग बांधों के साथ अपनी प्रारंभिक एफसी आवेदन (दिसम्बर 2014) में प्रस्तुत की थी।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि वेट प्रक्रिया के कारण उत्पन्न स्लाईम्स को समायोजित करने लिए अधिक क्षेत्र के साथ टेलिंग बांधों की योजना और खानों की परिचालन अवधि को ध्यान में लेने के कारण क्षेत्र 75.92 हैक्टेयर तक बढ़ गया था।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है कि यद्यपि परियोजना के क्षेत्र में वृद्धि हुई, जीवन पर्याप्तता की गणना करने के बाद टेलिंग बांध 1 व 2 के संबंध में 13.40 मिलियन टन की अनुमानित प्रारंभिक क्षमता को घटाकर 8.52 मिलियन टन कर दिया गया। अतः, क्षेत्र में वृद्धि को टेलिंग बांधों पर आरोपित नहीं किया जा सकता है।

(ग) राजस्व भूमि का आवंटन प्राप्त करने में किए गए प्रयास

नोडल अधिकारी (वन विभाग) को ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने के तुरन्त बाद, चरण-I वन मंजूरी के लिए, कंपनी ने वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के अंतर्गत बेल्लारी के जिला राजस्व प्राधिकारियों को राजस्व भूमि के आवंटन के लिए और प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए। इस संबंध में, यह देखा गया था कि:

- (i) कंपनी ने राजस्व प्राधिकारियों को भूमि विवरण (जून 2016) प्रस्तुत करने में 6 माह का समय लिया यद्यपि कंपनी ने जनवरी 2016 में उपरोक्त परियोजना के लिए भूमि की पहचान कर ली थी। यह विलंब कंपनी द्वारा अन्य परियोजनाओं की भूमि आवश्यकता को जोड़ने के कारण हुई थी।
- (ii) तहसीलदार/उप-मंडल कार्यालय के माध्यम से विवरण का सत्यापन करने के बाद, प्रस्ताव को जिला राजस्व प्राधिकारियों द्वारा राजस्व विभाग, कर्नाटक सरकार को (मई 2017) अग्रेषित किया गया था।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि वह क्षतिपूर्ति वनरोपण करने के लिए राजस्व भूमि को वन विभाग के नाम में हस्तांतरित (फरवरी 2018) कर सका।

(घ) वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के अंतर्गत प्रमाण-पत्र

अगस्त 2015 में कम्पनी से प्राप्त आवेदन को जिला प्राधिकारियों ने सात महिने बाद (मार्च 2016) संबंधित ग्राम पंचायत को अग्रेषित किया, जिसके कारण रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे। इसके अलावा, मई 2016 में आयोजित ग्राम सभा के आठ महिने बाद कारणों को रिकार्ड किए बिना ग्राम पंचायत ने संकल्प (जनवरी 2017) उप-मंडल समिति को अग्रेषित किया। उप-मंडल समिति और जिला स्तरीय समिति (अप्रैल 2017) के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार आज की तारीख (जनवरी 2018) तक सर्वेक्षण संख्या, भूमि क्षेत्र और प्रमाण-पत्र, कि विचलन से कोई वनवासी प्रभावित नहीं हो रहा है, को स्पष्ट रूप से वर्णित करते हुए संशोधित संकल्प प्रस्तुत करने में ग्राम पंचायत असफल रही थी। जिला प्राधिकारियों के कार्यालय से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस संबंध में कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड नहीं था। इस बात को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने अभी तक (मार्च 2018) चरण-I वन मंजूरी और स्क्रीनिंग संयंत्र-II हेतु पर्यावरण मंजूरी प्राप्त नहीं की थी।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (मार्च/जुलाई 2018) कि ग्रामीणों की अनुचित मांगों के साथ-साथ पंचायत विकास अधिकारी और पंचायत सदस्यों के बीच समन्वय की कमी थी, जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर थे और अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयास किए गए थे।

मंत्रालय जिला राजस्व प्राधिकारी द्वारा एफआरए प्रमाण-पत्र देने और राज्य राजस्व विभाग द्वारा अनिवार्य वनरोपण के लिए राजस्व भूमि प्रदान करने में देरी का मूल्यांकन करने में असफल रहा जबकि संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय (मई 2017) ने कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव को संबोधित करते हुए पत्र में वन मंजूरी को शीघ्र प्रदान करने अनुरोध किया गया था। परिणामस्वरूप, उपर्युक्त पत्र में इन समस्याओं को संप्रेषित नहीं किया सका।

2.4.2 किरांदुल परिसर में स्क्रीनिंग संयंत्र-III

कंपनी ने 2005 में परियोजना 11-बी खान (तीन एमटीपीए क्षमता सहित) के विकास के आरंभ के समय, केवल क्रशिंग संयंत्र और डाउनहिल कन्वेयर बनाने की परिकल्पना की थी और डिपोजिट 14 और डिपोजिट 11-सी की मौजूदा स्क्रीनिंग एवं लदान सुविधाओं का उपयोग करने का निश्चय किया था। बाद में, 2007 में, कंपनी ने डिपोजिट 14 में 160 मिलियन टन के अतिरिक्त लौह अयस्क भंडार मिलने के कारण व मौजूदा स्क्रीनिंग संयंत्र पुराना हो जाने के कारण इसको बदलने व 12 एमटीपीए की क्षमता के साथ एक नया स्क्रीनिंग संयंत्र के निर्माण की आवश्यकता महसूस की। उपर्युक्त स्क्रीनिंग संयंत्र के लिए अपेक्षित क्षेत्र 74.236 हैक्टेयर था जिसमें 65.936 हैक्टेयर वन भूमि और 8.30 हैक्टेयर गैर-वन भूमि शामिल थी। इस परियोजना के लिए अपेक्षित मंजूरी/सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया की लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई थी और लेखापरीक्षा आपत्तियों की नीचे चर्चा की गई है।

(क) स्क्रीनिंग संयंत्र-III के लिए पर्यावरण मंजूरी

कंपनी ने दिनांक 31 अक्टूबर 2008 को 74.236 हैक्टेयर की भूमि के लिए पर्यावरण मंजूरी हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत किया। फरवरी 2009 में ईएसी द्वारा संदर्भ शर्तें जारी की गयी थी और जनवरी 2010 में कंपनी द्वारा उक्त की अनुपालना प्रस्तुत की गई थी। हालांकि जनवरी 2010 की ईएसी की बैठक में इस पर विचार किया गया था, चरण-I वन मंजूरी की प्राप्ति तक प्रस्ताव को डी-लिस्ट¹⁸ करने की सिफारिश की गई थी। नवम्बर 2013 में एमओईएफएंडसीसी द्वारा ईसी प्रदान की गई थी, भले ही कंपनी ने जनवरी 2012 में चरण-I वन मंजूरी की प्राप्ति के तुरन्त बाद ही उक्त के लिए आवेदन किया था। देरी निम्नलिखित कारणों से हुई थी:

¹⁸ एमओईएफएंडसीसी ने पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने से पूर्व चरण-I वन अनुमति प्राप्त करने की एक पूर्व-शर्त रखी। ऐसे समय तक, ईएसी बैठक में विचार करने तक प्रस्ताव को लंबित सूची में से हटाया जाएगा।

- एमओईएफएंडसीसी में छह महीने की देरी हुई थी क्योंकि मंत्रालय में फाइल का पता नहीं लगाया जा सका था, जिसने (जुलाई 2012) कंपनी को सहायक दस्तावेजों के साथ घटनाओं को कालक्रम अनुसार प्रस्तुत करने के निर्देश दिया था।
- फाइल मार्च 2013 तक एमओईएफएंडसीसी में लंबित पड़ी रही यद्यपि कंपनी ने जुलाई 2012 में तुरन्त जानकारी प्रस्तुत कर दी परिणामतः छह महीने का अधिक विलंब हुआ।
- कंपनी को ईएसी द्वारा मंजूरी (जून 2013 में) के साढ़े चार माह बाद मंत्रालय के अंतिम अनुमोदन (नवम्बर 2013) की जानकारी दी गयी जो 45 दिनों की निर्धारित समय सीमा से आगे था।
- ईसी में उल्लिखित भूमि के क्षेत्र में त्रुटि अर्थात् 74.236 हैक्टेयर की कुल आवेदित भूमि के स्थान पर 65.936 हैक्टेयर को कंपनी द्वारा देखा नहीं गया था जब तक कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) ने स्थापना के लिए सहमति (सीएफई) जारी करने से पहले तुरन्त इसे इंगित (अक्टूबर 2016) नहीं किया। कंपनी ने संशोधित ईसी को जारी करने लिए एमओईएफएंडसीसी को अनुरोध किया (दिसम्बर 2016) व उसे मार्च 2017 में प्राप्त किया। परिणामस्वरूप, सीईसीबी द्वारा जुलाई 2017 में सीएफई प्रदान की गयी। इस प्रकार, कंपनी के कारण 38 महीनों (नवम्बर 2013 से दिसम्बर 2016 तक) का परिहार्य विलंब हुआ।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि उसने अपने आवेदन में भूमि का क्षेत्र सही तरह से उल्लिखित किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2013 में ईसी की प्राप्ति के समय में भूमि क्षेत्र में गलती पर ध्यान देने की विफलता पर टिप्पणी की है न कि आवेदन प्रस्तुत करने के समय पर।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि कंपनी ने केवल 65.936 हैक्टेयर ईसी के लिए आवेदन किया था क्योंकि शेष 8.30 हैक्टेयर भूमि पहले से ही मौजूदा डिपोजिट-14 एनएमज़ेड खनन पट्टे का भाग थी जो पहले से ही कंपनी के स्वामित्व में था। चूंकि, सीईसीबी ने 8.30 हैक्टेयर भूमि के लिए ईसी हेतु जोर दिया, कंपनी को मई 2017 में ईसी में संशोधन अर्जित करना पड़ा।

ईआईए अधिसूचना 2006 दिनांक 14.09.2006 का पैरा 1 यह प्रावधान निर्धारित करता है कि नई परियोजनाओं या गतिविधियों का निर्माण या मौजूदा परियोजनाओं या गतिविधियों

का विस्तार या आधुनिकीकरण या उस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध गतिविधियों को प्रक्रिया में परिवर्तन के साथ क्षमता वृद्धि और/या प्रौद्योगिकी केन्द्र सरकार से पूर्व पर्यावरण मंजूरी के पश्चात ही प्रदान की जाएगी। इसलिए, सम्पूर्ण भूमि के लिए ईसी अपेक्षित था। सम्पूर्ण भूमि के लिए ईसी प्राप्त करने में निष्क्रियता और केवल सीईसीबी के जोर देने पर ऐसा करना कंपनी के हिस्से में और देरी जोड़ता है।

(ख) स्क्रीनिंग संयंत्र-III (चरण-I) के लिए वन मंजूरी

कंपनी ने नोडल अधिकारी को 65.936 हैक्टेयर वन भूमि के परिवर्तन हेतु आवेदन (सितम्बर 2008) किया था। कंपनी, एमओईएफएंडसीसी, राज्य वन एवं राजस्व विभाग के द्वारा वन नियमों में निर्धारित समय सीमा के अनुसार प्रस्ताव की मंजूरी के लिए किए गए प्रयास नीचे दिये गए हैं:

तालिका 2.9 - स्क्रीनिंग संयंत्र-III (चरण-I) के लिए वन मंजूरी प्राप्त करने में देखे गए मुद्दे

एमओईएफएंडसीसी द्वारा अधिसूचित वन (संरक्षण) नियम 2003/2004/2014 के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई	वन अधिनियम द्वारा निर्धारित समय	वास्तव में लिया गया समय	अभ्युक्ति/ देरी के लिए कारण
कंपनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की स्वीकृति	कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई क्योंकि स्वीकृति आवेदन की पूर्णता पर निर्भर है	5 दिन (25.09.2008 से 30.09.2008)	कंपनी का आवेदन नोडल अधिकारी ने प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) दंतेवाड़ा को अग्रेषित किया (सितम्बर 2008) व इसे डीएफओ के द्वारा मंजूरी दे दी गयी और अक्टूबर 2008 में मुख्य वन संरक्षण को अग्रेषित किया गया।
डीएफओ द्वारा सीसीएफ की आपत्तियों का निपटान	कोई समय सीमा निर्धारित नहीं	46 दिन (29.08.2009 से 14.10.2009)	सीसीएफ ने कुछ आपत्तियां (जून 2009) उठाई जिस पर कंपनी ने अगस्त 2009 में डीएफओ को जानकारी प्रस्तुत की। डीएफओ ने अक्टूबर 2009 में उक्त को सीसीएफ को अग्रेषित किया।
सीसीएफ की अन्य आपत्तियां	कोई समय सीमा निर्धारित नहीं	184 दिन (16.02.2010)	अक्टूबर 2009 में डीएफओ द्वारा अपेक्षित जानकारी अग्रेषित करने के

एमओईएफएंडसीसी द्वारा अधिसूचित वन (संरक्षण) नियम 2003/2004/2014 के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई	वन अधिनियम द्वारा निर्धारित समय	वास्तव में लिया गया समय	अभ्युक्ति/ देरी के लिए कारण
		से 19.08.2010)	बाद, सीसीएफ ने अन्य आपत्तियां (फरवरी 2010) उठाईं जिनका अगस्त 2010 में छह महीने की देर के बाद डीएफओ द्वारा जवाब दिया गया था।
राज्य सरकार द्वारा एमओईएफएंडसीसी को आवेदन अग्रेषित करना	20 दिन	42 दिन (14.12.2010 से 25.01.2011)	राज्य सरकार ने दिसम्बर 2010 में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एपीसीसीएफ) से प्राप्त जानकारी के बाद जनवरी 2011 में एमओईएफएंडसीसी को आवेदन अग्रेषित किया गया।
एमओईएफएंडसीसी में प्रस्ताव के आगे की प्रक्रिया	85 दिन	205 दिन (02.02.2011 से 26.08.2011)	निर्धारित 10 दिनों के प्रति पांच महीने की देरी के बाद जुलाई 2011 में एमओईएफएंडसीसी द्वारा आवेदन का पंजीकरण किया गया था यद्यपि यह फरवरी 2011 में प्राप्त हुआ था। आवेदन को अगस्त 2011 में वन सलाहकारी समिति को प्रस्तुत किया गया था। एफएसी ने चरण-I वन मंजूरी प्रदान करने की सिफारिश की।
चरण-I वन मंजूरी का अनुमोदन	30 दिन	144 दिन (26.08.2011 से 17.01.2012)	यद्यपि अगस्त 2011 में एफएसी द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, निर्धारित 30 दिनों के प्रति 5 महीने की देरी के बाद जनवरी 2012 में मंत्रालय द्वारा अंतिम मंजूरी दी गई थी। अंततः 17.01.2012 को चरण-I वन मंजूरी प्रदान की गई थी।

इस प्रकार, वन (संरक्षण) नियमावली के अधीन 280 दिनों की निर्धारित अवधि के प्रति चरण-I वन मंजूरी की प्राप्ति में लगभग 40 महीने लग गए। देरी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का वन विभाग और एमओईएफएंडसीसी जिम्मेदार थे।

(ग) स्क्रीनिंग संयंत्र-III (चरण-II) के लिए वन मंजूरी

वन मंजूरी चरण-I की शर्तों में से एक शर्त व्यापक वन्य जीवन योजना तैयार करना था। कंपनी के द्वारा सम्पूर्ण मंडल के लिए या प्रभावित क्षेत्र के लिए वन्य जीवन योजना तैयार करने के संबंध में स्पष्टीकरण (अगस्त 2012) के लिए अनुरोध को एमओईएफएंडसीसी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया था और इसलिए कंपनी ने मई 2013 में सम्पूर्ण मंडल के लिए उक्त को तैयार कर लिया। इसे दिसम्बर 2013 में मुख्य वन्य जीव वार्डन, रायपुर द्वारा मंजूरी दी गई थी और वन्य जीवन योजना को कार्यान्वित करने के लिए अप्रैल 2014 में ₹15.50 करोड़ का भुगतान भी किया गया था। कंपनी ने 04 अक्टूबर 2014 को अंतिम अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे राज्य सरकार, द्वारा एमओईएफएंडसीसी को 10 दिसम्बर 2014 को अग्रेषित की गई थी। इसे सक्षम प्राधिकारी को, वन नियमावली द्वारा निर्धारित 20 दिनों के मुकाबले 99 दिनों के विलंब के बाद बिना किसी कारणों को दर्ज किए, 19 मार्च 2015 को प्रस्तुत किया गया था। अंततः अप्रैल 2015 में वन मंजूरी चरण-II को मंजूरी प्रदान की गई थी। हालांकि, कंपनी ने अक्टूबर 2016 में ही स्थापना के लिए सहमति (सीएफई) हेतु आवेदन किया अर्थात् 18 महीने की देरी के बाद जिसके के लिए कोई कारण दर्ज नहीं थे।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (मार्च/जुलाई 2018) कि इसने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) को सितम्बर 2009 में ही स्थापना हेतु सहमति के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीईसीबी वन मंजूरी/पर्यावरण मंजूरी को प्रस्तुत करने के बाद ही सीएफई को मंजूरी देता है। हालांकि, कंपनी द्वारा सितम्बर 2009 में बिना कोई अनुमति प्राप्त किए सीएफई के लिए आवेदन किया जाना निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं था।

(घ) सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने से पूर्व निर्माण ठेका प्रदान करना

अग्रिम कार्रवाई के रूप में, कंपनी ने किरनडुल परिषद में मालिंगर पम्प हाऊस से स्क्रीनिंग संयंत्र जलाशय तक 500 क्यूबिक मी. प्रतिघंटा पानी पम्प करने और आपूर्ति के लिए कार्य टेक्नोफेब इंजीनियरिंग लिमिटेड (टीएफई) नई दिल्ली को ₹13.87 करोड़ की अनुबंधित कीमत पर प्रदान किया जो कि 18 महीने के भीतर अर्थात् 10 फरवरी 2010 तक पूर्ण हो

जाना चाहिए था। ठेकेदार ने दिसम्बर 2010 तक ₹5.64 करोड़ की लागत की सामग्री की आपूर्ति की। हालांकि, बकाया कार्य कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि कंपनी अनिवार्य वन एवं पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में विफल हो गई और ठेका प्रदान करने की तारीख से सात वर्ष बाद जनवरी 2015 (11 जनवरी 2015) में ठेका बंद कर दिया था। ₹4.59 करोड़ मूल्य की सामग्रियां स्टोर में अभी भी बेकार पड़ी थी। इस प्रकार, सांविधिक मंजूरी प्राप्त किए बिना कंपनी के कार्य प्रदान करने की अविवेकपूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरूप ₹4.59 करोड़ मूल्य की सामग्री बेकार पड़ी रही।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (मार्च/जुलाई 2018) कि कार्य में प्रगति नहीं हुई क्योंकि स्थानीय मुद्दे और पाइप लाइन डालने के लिए अपेक्षित सांविधिक मंजूरी प्राप्त नहीं हुई तथा बेकार पड़े स्टोरों का प्रयोग स्क्रीनिंग संयंत्र-III परियोजना में किया जाएगा।

2.5 निकासी सुविधाओं में वृद्धि

कंपनी द्वारा लौह अयस्क की आपूर्ति/निकासी मुख्यतः रेल के द्वारा की जाती थी जबकि अपने ग्राहकों को छोटी मात्रा सड़क मार्ग के द्वारा पहुँचाई जाती थी। किरनडुल परिसर में, कंपनी के दीर्घकालिक ग्राहक एस्सार लिमिटेड को लौह अयस्क की आपूर्ति कन्वेयर¹⁹ के माध्यम से की जा रही थी जिसे स्लरी पाइपलाइन के माध्यम से बेनिफिशियेट²⁰ करके एस्सार के विशाखापत्तनम संयंत्र को ले जाया गया था। यह देखा गया कि बैलाडीला क्षेत्र में निकासी सुविधाओं में कई कमियां थी। बैलाडीला क्षेत्र में लौह अयस्क की कुल निकासी क्षमता 24 एमटीपीए अर्थात् किरनडुल-कोठावालसा रेलवे लाइन के माध्यम से 16 एमटीपीए और स्लरी पाइप लाइन के माध्यम से 8 एमटीपीए थी। निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2017 को समाप्त पांच वर्ष की अवधि के दौरान विभिन्न तरीकों के माध्यम से लौह अयस्क की निकासी के विवरण का संकेत करती है।

¹⁹ बेल्ट कन्वेयर प्रणाली में कन्वेयर बेल्ट ही दुलाई माध्यम होती है।

²⁰ लौह अयस्क की सान्द्रता को सुधारने और अशुद्धियों को हटाने के लिए विभिन्न तकनीकों जैसे क्रशिंग, मिलिंग और स्क्रीनिंग का प्रयोग करते हुए सामान्यतः लौह अयस्क के कम स्तर के स्रोतों में बेनिफिशिएशन आवश्यक होती है।

तालिका 2.10 - विभिन्न तरीको के माध्यम से लौह अयस्क की निकासी

(टनों में)

वर्ष	इकाई	रेल द्वारा	सड़क मार्ग द्वारा	केन्वेयर द्वारा (स्लरी पाइप लाइन)	कुल
2012-13	बचेली	11606154.60	369805.50	0.00	11975960.10
	किरनडुल	5380028.00	258357.00	886403.00	6524788.00
		16986182.60	628162.50	886403.00	18500748.10
2013-14	बचेली	11925395.00	308775.40	0.00	12234170.40
	किरनडुल	6999209.00	293047.00	1892673.00	9184929.00
		18924604.00	601822.40	1892673.00	21419099.40
2014-15	बचेली	11090477.70	347505.00	0.00	11437982.70
	किरनडुल	4959941.00	384838.00	3951550.00	9296329.00
		16050418.70	732343.00	3951550.00	20734311.70
2015-16	बचेली	9315377.80	208871.70	0.00	9524249.50
	किरनडुल	3233814.00	256532.00	3576737.00	7067083.00
		12549191.80	465403.70	3576737.00	16591332.50
2016-17	बचेली	11457030.40	103253.10	0.00	11560283.50
	किरनडुल	5046325.00	303471.00	6163243.00	11513039.00
		16503355.40	406724.10	6163243.00	23073322.50

यह देखा जा सकता है कि कंपनी ने अपनी 16 एमटीपीए की क्षमता के प्रति रेल लाइन के माध्यम से 12.55 एमटीपीए से 18.92 एमटीपीए के बीच में लौह अयस्क की निकासी की। इसके अलावा, कंपनी ने उपर्युक्त अवधि के दौरान अपनी 8 एमटीपीए क्षमता के प्रति एस्सार लिमिटेड की स्लरी पाइप लाइन के माध्यम से 0.89 एमटीपीए से 6.16 एमटीपीए के बीच लौह अयस्क की निकासी की थी।

मंत्रालय के साथ एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जून 2018), प्रबंधन के कहा कि 01.04.2017 से वैगन क्षमता 70 टन प्रति वैगन से 78 टन प्रति वृद्धि बढ़ने के कारण रेलवे लाइन (केके लाइन) की निकासी क्षमता को 16 एमटीपीए से 24 एमटीपीए तक बढ़ाया गया।


हमने देखा कि कंपनी ने 70 टन प्रति वैगन के साथ 2012-13 से 2016-17 के दौरान केके लाइन के माध्यम से एक वर्ष में केवल 18.92 मिलियन टन का अधिकतम लौह अयस्क का परिवहन किया। 8 टन प्रति वैगन की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, केके लाइन की कुल

क्षमता केवल 21.08²¹ एमटीपीए तक काम करेगी और कंपनी द्वारा दावा किए गए 24 एमटीपीए तक नहीं होगी। इस प्रकार, बैलाडिला क्षेत्र में 36 एमटीपीए²² कुल निकासी आवश्यकता के मुकाबले 7 एमटीपीए की कमी के चलते कुल निकासी क्षमता 29 एमटीपीए (केके लाइन-21 एमटीपीए और एस्सार स्लरी लाइन-8 एमटीपीए) ही पहुंची।

नीतिगत प्रबंधन योजना - विजन-2025 के अनुसार परिकल्पित उत्पादन लक्ष्यों की निकासी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रम में, कंपनी ने परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव रखा, नामतः जगदलपुर से किरन्दुल (150.462 किमी.) तक केके रेलवे लाइन दोहरीकरण रोवघाट और जगदलपुर (140 किमी.) के बीच नई रेलवे लाइन का निर्माण, दो भागों में बैलाडिला क्षेत्र में दूसरी स्लरी पाइपलाइन का निर्माण जैसे भाग-क स्वयं एनएमडीसी द्वारा बचेली से नगरनार (138 किमी.) और भाग ख - राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से नगरनार से विशाखापट्टनम (315 किमी.)। इसके अतिरिक्त, रेलवे के माध्यम से सहभागी मॉडल के तहत जगदलपुर-अंबागांव लाइन (25 किमी.) के दोहरीकरण करने का निर्णय लिया गया था।

इन रेलवे परियोजनाओं का आरेखण प्रस्तुतिकरण नीचे दिया गया है:

चार्ट 2.4 - किरंदुल - कोठावालसा रेल लाइन (केके लाइन) का भौगोलिक प्रस्तुतिकरण



²¹ 18.92 मिलियन टन * 78 टन/70 टन = 21.08 मिलियन टन

²² एसएमपी के अनुसार 2018-19 तक प्राप्त किए जाने वाले 50 एमटीपीए के कुल परिकल्पित उत्पादन में से 14 टीपीए डोनीमलाई क्षेत्र से परिकल्पित किया गया है। इसलिए, शेष 36 एमटीपीए बैलाडिला क्षेत्र से संबंधित है।

इन परियोजना के संबंध में हुई प्रगति की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

2.5.1 जगदलपुर से किरनडुल तक केके रेलवे लाइन का दोहरीकरण

परिकल्पित उच्च उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निकासी सुविधा को बढ़ाने के क्रम में, कंपनी ने केके रेलवे लाइन के किरनडुल से जगदलपुर सेक्शन के दोहरीकरण का कार्य करने का निर्णय लिया और अनुमानित लागत ₹826.57 करोड़ (2011-12 स्तर) में रेलवे के साथ (दिसम्बर 2012 में) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसे बाद में अगस्त 2018 तक रेलवे द्वारा ₹1,160.83 करोड़ में कार्यान्वित और पूर्ण करने लिए संशोधित (दिसम्बर 2015) किया गया। इस लाइन के माध्यम से पहुंचाए जाने वाले अयस्क की मात्रा 12 एमटीपीए थी। दोहरीकरण का कार्य तीन भागों में बांटा गया था अर्थात् जगदलपुर से सिलकझोरी 45.50 किमी., सिलकझोरी से गीदम 52.734 किमी. और गीदम से किरनडुल 52.228 किमी.। कंपनी (दिसम्बर 2017) द्वारा जमा ₹525.00 करोड़ की राशि के प्रति रेलवे द्वारा किए गए व्यय ₹465.83 करोड़ की राशि के खर्च से केवल 40 प्रतिशत की समग्र वित्तीय प्रगति (दिसम्बर 2017) को दर्शाता है।

हमने देखा कि:

- क) इस तथ्य के बावजूद कि परियोजना के कार्यान्वयन की समय सीमा का 88 प्रतिशत²³ समाप्त (दिसम्बर 2017) हो गया, कार्य की समग्र प्रत्यक्ष प्रगति केवल 41.50 प्रतिशत थी। इसके अलावा, उपर्युक्त तीन भागों में से, केवल जगदलपुर से सिलकझोरी भाग का कार्य पूर्ण हुआ था जबकि अन्य दो भागों में कार्य अपने क्रियान्वयन (दिसम्बर 2017) के आरंभिक चरण में था।
- ख) कार्य के समापन में देरी से निकासी क्षमता बढ़ाने की कंपनी की योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- ग) एमओयू में रेलवे से मासिक प्रगति रिपोर्ट, जिसे धन की और जारी करने के लिए मांग को संलग्न किया जाना था, की आवश्यकताओं को छोड़कर परियोजना निगरानी तंत्र के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि नकसल गतिविधियों के कारण किरनडुल से सिलकझोरी भाग से संबंधी कार्य की प्रगति केवल 16 प्रतिशत हुई और जोनल, मंडल और सेक्शन स्तर

²³ परियोजना अगस्त 2018 तक रेलवे के साथ एमओयू हस्ताक्षर (दिसम्बर 2012) के 68 महिनों के अंदर पूरी होने वाली थी। दिसम्बर 2017 तक, 68 महिनों में से 60 महिने बीत गए। यह पूर्ण होने के लिए कुल समय अवधि का 88 प्रतिशत है।

में रेलवे द्वारा कार्य की प्रगति की निगरानी की गई थी, और प्रति महीने एनएमडीसी को उक्त की जानकारी दी गई थी।

2.5.2 जगदलपुर तथा अम्बागांव के बीच रेलवे लाइन का दोहरीकरण

कम्पनी ने नागरनार पर नए समेकित इस्पात संयंत्र (एनआईएसपी) के कारण ट्रेफिक की मात्रा में प्रत्याशित दोगुनी वृद्धि के प्रबंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जगदलपुर तथा अम्बागांव (25 किमी.) के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य लेने का निर्णय लिया। तदनुसार, कम्पनी ने 2.5 वर्ष की पूर्णता अवधि अर्थात् जनवरी 2019 तक सहभागी मॉडल के अंतर्गत ₹257.75 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अगस्त 2016 में रेल मंत्रालय (एमओआर) के साथ एक करार किया। कम्पनी ने अभी तक ₹114 करोड़ की राशि जमा की थी (दिसम्बर 2017)। रेलवे की प्रगति रिपोर्ट (दिसम्बर 2017) के अनुसार, 50 प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रगति परियोजना पर अभी तक लिए गए समय के अनुसार थी।

2.5.3 दल्ली-राझरा - रोवघाट - जगदलपुर रेल कोरिडोर

लौह अयस्क आपूर्तियों तथा तैयार उत्पादों की सुपुर्दगी के लिए अपनी वृद्धि योजनाओं को पूरा करने तथा मध्य, पश्चिम तथा उत्तरी भारत में अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिए, एनएमडीसी तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने दो चरणों अर्थात् (i) चरण-I में दल्ली-राझरा - रोवघाट लाइन (95 किमी.) तथा चरण-II में रोवघाट - जगदलपुर लाइन (140 किमी.) में उक्त कोरिडोर का विकास करने का निर्णय किया। यद्यपि चरण-I भाग के लिए सम्पूर्ण लागत सेल द्वारा दी गई थी तथापि, चरण-II के लिए रेल मंत्रालय, सेल, एनएमडीसी तथा छत्तीसगढ़ सरकार के बीच 57 प्रतिशत (एमओआर), 21 प्रतिशत (सेल), 10 प्रतिशत (एनएमडीसी) तथा 12 प्रतिशत (छत्तीसगढ़ सरकार) के अनुपात में लागत सहभाजन के आधार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया (11 दिसम्बर 2007)। इसके पश्चात्, रेल मंत्रालय के परामर्श पर एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से परियोजना का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया (18 दिसम्बर 2014)। अतः 43 प्रतिशत (एनएमडीसी), 21 प्रतिशत (सेल), 26 प्रतिशत (एमओआर) तथा छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) द्वारा 10 प्रतिशत के संशोधित लागत शेयरिंग अनुपात के साथ एक संशोधित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया (मई 2015)। संशोधित समझौता ज्ञापन में सहमति के अनुसार, “बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)” के नाम से एक एसपीवी को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के बाद रायपुर के पंजीकृत कार्यालय के साथ 05 मई 2016 को निगमित किया गया था।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (मार्च/जुलाई 2018) कि बीआरपीएल द्वारा बनाई गई डीपीआर को मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया (अक्टूबर 2017)। भूमि अधिग्रहण कार्य आरम्भ किया गया था। परियोजना मार्च 2023 तक पूर्ण होने के लिए अपेक्षित थी तथा इस लाइन के माध्यम से निकाले जाने हेतु प्रस्तावित लौह अयस्क 15.30 एमटी तक अनुमानित था।

2.5.4 स्लरी पाइपलाइन सिस्टम

सीएजी की 2012-13 की प्रतिवेदन संख्या 20 में मार्च 2012 तक स्लरी पाइपलाइन बिछाने के लिए अनुमोदनों से संबंधित विकासों को सममिलित किया गया था। परियोजना दो चरणों में होने के लिए प्रस्तावित थी। चरण-I में ₹4,000 करोड़ के अनुमानित पूंजीगत व्यय के साथ बेलाडीला, छत्तीसगढ़ में 10 एमटीपीए लौह अयस्क बेनेफिशियेशन संयंत्र (किरनदुल के लिए 6 एमटीपीए तथा बचेली के लिए 4 एमटीपीए), किरनदुल से बचेली के लिए 11 एमटीपीए स्लरी पाइपलाइन, बचेली से नगरनार, छत्तीसगढ़ के लिए 15 एमटीपीए स्लरी पाइपलाइन तथा नगरनार में 2 एमटीपीए पैलेट संयंत्र की स्थापना निहित थी। चरण-II कार्यों में ₹6,000 करोड़ के अनुमानित पूंजीगत व्यय के साथ नगरनार से वाइज़ेग, आंध्र प्रदेश तक 13 एमटीपीए स्लरी पाइपलाइन तथा आरआईएनएल, वाइज़ेग पर 6 एमटीपीए पैलेट संयंत्र सम्मिलित थे। जबकि चरण-I कम्पनी द्वारा स्वयं क्रियान्वित होने के लिए प्रस्तावित था, चरण-II परियोजनाओं को आरआईएनएल के साथ संयुक्त उद्यम के तहत क्रियान्वित किया जाएगा। परियोजना के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की चर्चा नीचे की गई है:

- **बचेली पर 4 एमटीपीए बेनिफिशियेशन संयंत्र** - परियोजना ने 27 अप्रैल 2017 को पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की, स्तर-II वन मंजूरी तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) से स्थापना हेतु सहमति भी क्रमशः 27 सितम्बर 2017 तथा 16 अक्टूबर 2017 को प्राप्त की गई थी। इसके अलावा, डिपॉजिट-5 के स्क्रिनिंग संयंत्र से बेनिफिशियेशन संयंत्र तक लौह अयस्क फाइन्स के परिवहन के लिए ओवरहेड वाहक गैलरी बिछाने के लिए रेलवे से मंजूरी 12 सितम्बर 2017 को प्राप्त की गई थी।
- **किरनदुल पर 6 एमटीपीए बेनिफिशियेशन संयंत्र** - सलाहकार द्वारा फील्ड अध्ययन किया जा रहा था तथा कम्पनी को सांविधिक मंजूरी हेतु आवेदन अभी प्रस्तुत करना था (सितम्बर 2018)।

- **स्लरी पाइपलाइन सिस्टम** - कम्पनी ने रेलवे के साथ वे-लीव करार करने के प्रति आरम्भिक राशि जमा करवा दी थी तथा वे-लीव करार²⁴ पर हस्ताक्षर करना प्रक्रियाधीन था (जुलाई 2017)। स्तर-I वन मंजूरी 01 फरवरी 2018 को प्राप्त की गई।
- **नगरनार पर पैलेट संयंत्र** - यह परियोजना एकमात्र ऐसी परियोजना है जिसने अपने कार्य आरम्भ करने के लिए सभी अपेक्षित मंजूरियां ले ली हैं। कार्यस्थल लेवल करने का कार्य पूर्ण किया गया था (जुलाई 2017)।

चरण-II में, कम्पनी ने नगरनार से विशाखापट्टनम तक पाइपलाइन मार्ग का 97 प्रतिशत विस्तृत मार्ग सर्वेक्षण पूर्ण किया जबकि विभिन्न सांविधिक मंजूरी तथा सहमति अभी प्राप्त करनी थी (जुलाई 2017)।

2.6 इपीसीएम परामर्शदाता की नियुक्ति

कंपनी ने डोनीमलाई में स्क्रीनिंग संयंत्र II, किरनडुल में स्क्रीनिंग संयंत्र III और बैलाडिला सैक्टर में स्लरी पाइपलाइन सिस्टम के कार्यान्वयन हेतु पहले ही अभियांत्रिकी, खरीद, निर्माण और प्रबंधन (इपीसीएम) सलाहकार अनुबंध किये। उन अनुबंधों में पाई गई कमियों की विवरण अग्रलिखित है:

2.6.1 स्क्रीनिंग संयंत्र-II हेतु इपीसीएम परामर्शदाता की पहले से नियुक्ति

सांविधिक मंजूरी की प्राप्ति में देरी के बावजूद, कंपनी ने 39 महिने अर्थात मार्च 2019 की निर्धारित समापन अवधि तक ₹7.64 करोड़ में एम.एन. दस्तूर एण्ड कम्पनी को इपीसीएम परामर्शदात्री ठेका प्रदान किया। कंपनी ने परामर्शदाता को (फरवरी 2017 तक) ₹57.01 लाख की राशि का भुगतान किया। पर्यावरण एवं वन मंजूरी पाने में देरी और इसके परिणामस्वरूप एसपी-II के कार्यान्वयन में देरी के मद्देनजर, कंपनी ने इपीसीएम ठेका को विस्तार के लिए ठेके की शर्तों के अनुसार निर्धारित समापन तारीख के बाद के प्रत्येक वर्ष के लिए 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, और 15 प्रतिशत की वृद्धि दर (विस्तारित अवधि के दौरान कार्यान्वित होने वाले कार्यों के लिए ठेका शुल्क) पर परामर्शदाता को भुगतान करने की देयता के साथ खुद को प्रतिबद्ध किया।

²⁴ रेल भूमि पर वे लीव फेसिलिटी/ईजमेंट राइट्स में भूमि के अधिग्रहण या/कब्जे के अधिकार दिये बिना व रेलवे के टाईटल, अधिकार, नियंत्रण और भूमि उपयोग को प्रभावित किये बिना निर्दिष्ट उद्देश्य जैसे रास्ता आदि के लिए किसी पार्टी द्वारा भूमि का अवसर अनुसार या सीमित उपयोग शामिल है।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि अग्रिम में परामर्श ठेका प्रदान करने से अपेक्षित सांविधिक मंजूरी प्राप्त होने के समय तक मूल अभियांत्रिकी, तकनीकी विनिर्देशों की तैयारी और प्रासंगिक पैकेजों के निविदा दस्तावेजों को पूरा करने में सुविधा होगी। यह बड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए लिया जाने वाला सचेतन व्यापारिक निर्णय था।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने में बहुत सी बाहरी एजेंसियां, राज्य/केन्द्र सरकार की एजेंसियां शामिल होती हैं और संबंधी राज्य सरकार की प्रतिक्रिया और परियोजना अवस्थिति, परियोजना की प्रकृति पर निर्भर करता है और इसे समय-सीमाओं में बांधना व्यवहारिक रूप से बहुत मुश्किल है।

ईसी और एफसी को सुरक्षित करने में देरी के कारण दंड शुल्क के लिए व्यय करने की देयता का सामना करने के जोखिम को कम करने के लिए माइलस्टोन के निर्माण एक सूचित और पूर्वानुमानित निरूपण के संदर्भ में ईपीसीएम ठेका प्रदान करने के लिए कंपनी को सावधानी रखनी होगी। क्योंकि यह नहीं किया गया था, कंपनी को ईपीसीएम ठेका सेवा पर समयपूर्व व्यय करने के साथ-साथ भविष्य में दंड वृद्धि लागत प्रतिबद्धताओं को वहन करने की आगामी देयता की आवश्यकता का सामना करना पड़ा।

2.6.2 स्क्रीनिंग संयंत्र-III के लिए ईपीसीएम परामर्शदाता की नियुक्ति

कंपनी ने सांविधिक मंजूरीयों की प्राप्ति का इंतजार किए बिना ईपीसीएम परामर्शदाता (जुलाई 2010) के तौर पर टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स को 36 महिने की समापन अवधि हेतु ₹16.05 करोड़ लागत में नियुक्त किया। ठेके को बाद में सांविधिक मंजूरी की कमी हेतु निलंबित (नवम्बर 2013) कर दिया गया था, तब तक कंपनी ने परामर्शदाता को ₹3.57 करोड़ का भुगतान किया था। चरण-II एफसी एवं सीएफई की प्राप्ति के बाद, कंपनी ने फरवरी 2021 की संशोधित समापन अवधि सहित मार्च 2017 में निलंबन को वापस ले लिया। अनुबंध में कंपनी के कारण प्रत्येक वर्ष विलंब के लिए अनुबंध मूल्य के बकाया के 5,10 और 15 प्रतिशत की वृद्धि दर पर भुगतान से सम्बंधित उपखंड शामिल था। इससे संशोधित पूर्णता अवधि अर्थात् मार्च 2017 से फरवरी 2021 के ध्यानार्थ ₹1.42 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय प्रतिबद्धता होगी।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि यह ईपीसीएम ठेका में वृद्धि पर उच्च सीमा को शामिल करने के लिए जोर दे रहा था।

उत्तर पैरा 2.6.1 के अंतर्गत लेखापरीक्षा अवलोकन की पुष्टि करता है और यदि विलंब के कारण कंपनी की भूमिका से बाह्य थे तो उचित बचाव उपखंड के साथ अनुबंध दिये जाने की आवश्यकता को इंगित करता है।

2.6.3 निकासी सुविधाओं के लिए ईपीसीएम ठेका देना

कम्पनी ने जनवरी 2015 से प्रभावी 48 माह की निर्धारित पूर्णता के साथ ₹110 करोड़ की लागत पर नगरनार पर पैलेट संयंत्र, बचेली पर बेनिफिशिएशन संयंत्र तथा बचेली से नगरनार तक स्लरी पाइपलाइन सिस्टम के निर्माण हेतु नामांकन आधार पर मीकान को ईपीसीएम ठेका दिया (जनवरी 2015)।

हमने पाया गया कि:

- (क) कार्य के मूल्य को मीकान द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं के पिछले तथा एक समान बेंचमार्किंग के आधार पर निकाला गया था। खुली निविदा के माध्यम से ठेकेदार का चयन करने की बजाय नामांकन आधार पर कार्य देकर, कम्पनी को उन प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय लाभों से वंचित किया गया जिसे खुली निविदा जांच के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था।
- (ख) ईपीसीएम ठेका लागत को दो भागों अर्थात् इंजीनियरिंग सेवाओं - ₹58.69 करोड़ तथा परियोजना प्रबंधन सेवाओं (पीएमसी) - ₹51.31 करोड़ में बांटा गया था। इनमें से प्रत्येक भाग में माइलस्टोन आधारित भुगतान तथा समय आधारित भुगतान निहित है। समय आधारित भुगतान को, कार्य की प्रगति न देखते हुए, निर्धारित पूर्णता अवधि अर्थात् जनवरी 2019 तक 40 समान मासिक किश्तों (ईएमआई) में किया जाना था। कम्पनी ने इंजीनियरिंग सेवाओं के प्रति जून 2017 तक ₹18.15 करोड़ का भुगतान किया था (माइलस्टोन आधारित भुगतानों के प्रति ₹9.83 करोड़ तथा समय आधारित ईएमआई के प्रति ₹8.32 करोड़)। कार्य की प्रगति से जोड़े बिना समय आधारित ईएमआई के प्रति ₹8.32 करोड़ का भुगतान कम्पनी के वित्तीय हित के विरुद्ध था। हड़बड़ी में ठेका देना कम्पनी की ओर से अविवेकपूर्ण था क्योंकि कार्य के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित मंजूरी अभी प्राप्त की जानी थी।

इस प्रकार, 2018-19 तक निकासी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कम्पनी की योजनाओं को कार्यों की प्रगति पर विचार करते हुए पूर्ण नहीं किया जा सकता।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि उसने पिछले कार्य प्रमाण पत्र का सत्यापन करने के बाद तथा ₹135 करोड़ के उद्धृत मूल्य को बातचीत के बाद ₹110 करोड़ तक कम करने के बाद नामांकन आधार पर ईपीसीएम ठेका दिया था। इसके अलावा, कम्पनी ने ठेके में निहित आस्थगन खण्ड का उपयोग किया तथा अप्रैल 2017 से ईएमआई आधारित भुगतान बन्द कर दिया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नामांकन आधार पर अधिक मूल्य का ठेका देना कम्पनी के वित्तीय हित में नहीं था। यद्यपि कम्पनी ने अप्रैल 2017 में आस्थगन खण्ड का उपयोग किया, परन्तु इसने इंजीनियरिंग सेवाओं के प्रति ₹8.32 करोड़ का भुगतान किया था जो परिहार्य था।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि मीकान एकमात्र सलाहकार था जिसने व्यक्तिगत सुविधा तथा सम्पूर्ण आधार पर योग्यता मानदण्ड को पूरा किया था।

हमारा मत है कि कम्पनी को यह सुनिश्चित करने हेतु खुली निविदा आमंत्रित करनी चाहिए थी कि क्या अधिक मूल्य ठेके के संबंध में एक प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्राप्त करने के लिए बाजार में कोई अन्य योग्यता प्राप्त बोलीदाता विद्यमान था।

2.7 बिक्री तथा लौह अयस्क मूल्य का निर्धारण

कम्पनी ने लौह अयस्क की सहमत मात्राओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले ग्राहकों के साथ दीर्घावधि (तीन से पांच वर्षों तक मान्य) ठेके किए तथा ये ठेके वैधता अवधि समाप्त होने पर नवीकरणीय थे। दीर्घावधि ग्राहकों के अलावा, कम्पनी ने समय-समय पर राज्य निवेश सवर्धन बोर्ड, छत्तीसगढ़ की सिफारिशों पर छत्तीसगढ़ के स्पंज लौह उत्पादकों को लौह अयस्क की आपूर्ति की। कम्पनी के ग्राहक आधार में 01.04.2012 को 27 लौह अयस्क ग्राहक तथा 65 स्पंज लौह कम्पनियां सम्मिलित थीं। प्रमुख ग्राहक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, एस्सार स्टील लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील्स लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू इस्पात लिमिटेड आदि थे। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने स्पॉट मार्केट में लौह अयस्क की बिक्री भी की। बेलाडीला तथा डोनीमलाई क्षेत्रों के संदर्भ में 31 मार्च 2017 को समाप्त पांच वर्षीय अवधि के दौरान कम्पनी के ग्राहक आधार का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 2.11 - बेलाडीला तथा डोनीमलाई में ग्राहक आधार

क्षेत्र	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
	बैला	डोनीम.								
छत्तीसगढ़ (सीजी) ग्राहकों को छोड़कर ग्राहक*	21	34	22	32	33	32	19	51	20	51
एसआईपीबी द्वारा परामर्शित सीजी ग्राहक	67	---	54	---	60	---	63	---	41	---
कुल	88	34	76	32	93	32	82	51	61	51

बैला - बैलाडीला; डोनीम. - डोनीमलाई

*इसमें क्रमशः पोस्को, दक्षिण कोरिया तथा जापानी स्टील मिल के निर्यात ग्राहक सम्मिलित हैं।

यह देखा जा सकता था कि दीर्घावधि ग्राहकों की संख्या करीब-करीब एक समान रही। ग्राहक आधार में कोई वृद्धि नहीं थी जो यह दर्शाती है कि इच्छुक ग्राहकों को बुलाने के लिए अधिसूचना जारी करने के अलावा कम्पनी द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया।

कम्पनी ने अपने एसएमपी - विज़न 2025 में परिकल्पित अधिक उत्पादन के विपणन के लिए नए बाजार तथा ग्राहक खोजने को महत्वपूर्ण माना तथा निम्नलिखित कार्य योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया:

- क) मात्रा आधारित माल भाड़ा आर्थिक सहायता, सुपुर्दगी आधार पर बिक्री आदि जैसे बाजार भेदन कार्यनीति पहल के माध्यम से नए ग्राहकों को बिक्री करना/मौजूदा ग्राहकों के साथ व्यवसाय का शेर बढ़ाना।
- ख) ग्राहकों के समीप आने के लिए जगदलपुर, रॉयपुर अथवा विशाखापट्टनम जैसे सामरिक स्थलों पर मध्यस्थ भंडारों का विकास करना।
- ग) ग्राहकों की आवश्यकता के साथ उत्पाद मिश्रण की अलाइनिंग अर्थात उचित मूल्यांकन के साथ 10-40 एमएम की बजाए स्पंज लौह ग्राहकों के लिए 8-18 एमएम।
- घ) उत्खनन क्षमता तथा नियंत्रित बिक्री में बाधाओं पर विचार करते हुए निर्यात विकल्प को शामिल करके कम ग्रेड अयस्क तथा अवशेषों के लिए विपणन नीति का विकास करना।
- ङ) लौह अयस्क के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए इसकी निर्यात बिक्री बढ़ाने हेतु निर्यात कर हटाने के लिए निरन्तर प्रयास करना।
- च) किरनदुल - कोथावालसा (केके) लाइन पर बड़ी हुई माइलेज को पूर्ण रूप से हटाने तथा 140 किमी. लम्बे रोवघाट - जगदलपुर रेल मार्ग का निर्माण करने के लिए निरन्तर प्रयास करके संचालन लागत को कम करना।
- छ) मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने के लिए ग्राहक आवश्यकताओं तथा बाजार वास्तविकताओं के लिए निरन्तर उत्पादन मिश्रण की अलाइनिंग करना तथा मूल्य निर्धारण नीति बनाना।
- ज) सुखाने के प्रक्रमण की बाधाओं के अन्दर ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रक्रिया को बढ़ाना।

यद्यपि उक्त कार्य योजना को अच्छे बाजार विश्लेषण के आधार पर बनाया गया था, तथापि इसे क्रियान्वित करने में कम्पनी द्वारा किए गए प्रयास लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में नहीं पाए गए।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि मध्यस्थ भंडार का निर्माण, स्पंज लौह ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10-20 एमएम आकार के अयस्क को आरम्भ करना, बेलाडीला कीमतों के साथ डोनीमलाई कीमतों को अलग करना आदि जैसे कार्य एसएमपी - विज़न 2025 के अनुसार किए गए थे। निर्यात मालभाड़े तथा बढ़ाए गए रेल मालभाड़े को हटाने के लिए संबंधित प्राधिकरणों के साथ प्रयास किए जा रहे थे।

उपरोक्त तर्क तथा कम्पनी द्वारा की गई कार्रवाईयों के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कम्पनी केवल 35.62 मिलियन टन लौह अयस्क की बिक्री कर सकी। अतः एसएमपी - विज़न 2025 में परिणियोजित 50 एमटीपीए के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2018-19 तक 15 मिलियन टन लौह अयस्क की अतिरिक्त मात्रा की बिक्री करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करनी होगी।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि कम्पनी द्वारा किए गए उपायों को परिचालित होने में अभी ओर समय लगेगा।

2.7.1 लौह अयस्क की कीमतों का निर्धारण

कम्पनी ने एनएमडीसी के अयस्क हेतु इष्टतम मूल्य उगाही, घरेलू इस्पात उत्पादकों को आपूर्ति सुनिश्चित करने, तथा मूल्य के पूर्वानुमान के मामलों को सम्बोधित करते हुए सीएजी के 2012-13 की प्रतिवेदन संख्या 20 की सिफारिशों के आधार पर सकारात्मक कार्य किए। कम्पनी ने केपीएमजी (मूल्य निर्धारण सलाहकार) द्वारा परामर्शित फार्मूलों के आधार पर व्युत्पन्न कीमतों, इस्पात मूल्य पद्धति तथा बाजार स्थिति अर्थात् अयस्क के आवागमन के संदर्भ में मंत्रालय के तहत कार्यकारी उड़ीसा क्षेत्र (संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के माध्यम से प्राप्त) में प्रचलित औसत कीमतों में फैक्टरिंग से अपने मूल्य निर्धारण को तिमाही आधार से मासिक आधार में परिवर्तित किया। कम्पनी ने बेलाडीला क्षेत्र से डोनीमलाई क्षेत्र के मूल्यों को अलग भी किया। इसके अलावा, इस्पात मंत्रालय ने एक उपयुक्त कीमत निर्धारण तंत्र के लिए सलाह देने हेतु एक समिति भी गठित की (अक्टूबर 2016)। हम 2012-13 की सीएजी की रिपोर्ट सं. 20 में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन में कंपनी द्वारा किये गये उपायों की प्रशंसा करते हैं जिसके परिणामस्वरूप बाजार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियमित आधार पर मूल्यों का संशोधन किया गया था।

2.8 एनएमडीसी लिमिटेड का इसके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उत्पादन एवं परिचालनात्मक कुशलता

एनएमडीसी लिमिटेड भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तथापि, लेखापरीक्षा ने उस स्थिति की समीक्षा करने का प्रयास किया जहां एनएमडीसी लिमिटेड लौह अयस्क के उत्पादन तथा उत्पादन लागत के अनुसार भारत में लौह अयस्क उद्योग में खड़ा है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है:

(क) लौह अयस्क का उत्पादन

वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान एनएमडीसी द्वारा लौह अयस्क के उत्पादन²⁵ तथा लौह अयस्क के कुल घरेलू उत्पादन में इसके भाग को निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.12: लौह अयस्क के कुल घरेलू उत्पादन में एनएमडीसी का भाग

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18
भारत में लौह अयस्क का उत्पादन (मिलियन टन में):			
सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उत्पादन	62.86	70.36	71.38
निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादन	95.25	124.22	129.58
कुल उत्पादन	158.11	194.58	200.96
एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा उत्पादन	28.57	34.00	35.58
उत्पादन में हिस्सा (प्रतिशतता में)			
कुल उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी	40	36	36
कुल उत्पादन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी	60	64	64
सार्वजनिक क्षेत्र उत्पादन में एनएमडीसी का हिस्सा	45	48	50
कुल उत्पादन में एनएमडीसी का हिस्सा	18	17	18

²⁵ सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों द्वारा लौह अयस्क के कुल उत्पादन से संबंधित डाटा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा मार्च 2017 तथा मार्च 2018 की खनिज उत्पादन की मासिक सांख्यिकी से प्राप्त किया गया है।

उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि लौह अयस्क के कुल सार्वजनिक क्षेत्र उत्पादन में एनएमडीसी के हिस्से ने 2015-16 में 45 प्रतिशत से 2017-18 में 50 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की, तथापि इस अवधि के दौरान कुल घरेलू उत्पादन में इसका हिस्सा लगभग 18 प्रतिशत रहा। यह इस तथ्य की वजह से है कि कुल घरेलू उत्पादन में निजी क्षेत्र के हिस्से ने 2015-16 में उसके हिस्से की तुलना में 2017-18 के दौरान 4 प्रतिशत तक वृद्धि की है। इस प्रकार, भले ही एनएमडीसी के उत्पादन में 2015-18 की तीन वर्षीय अवधि के दौरान, समग्र रूप से, थोड़ी वृद्धि हुई, तथापि, कुल घरेलू उत्पादन में इसका हिस्सा स्थिर रहा।

(ख) लौह अयस्क के उत्पादन की लागत

यह पाया गया कि एनएमडीसी लिमिटेड औसतन 64 प्रतिशत लौह तत्व (एफई) वाले लौह अयस्क का उत्पादन करती है। इस श्रेणी के लौह अयस्क को मुख्य रूप से उड़ीसा, जोकि भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य है, में स्थित लौह अयस्क उत्पादको द्वारा उत्पादित किया जाता है। अतः लेखापरीक्षा ने उड़ीसा राज्य में स्थित निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में इसके प्रतिस्पर्धियों के साथ एनएमडीसी लिमिटेड की उत्पादन लागत का तुलनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास किया। निजी क्षेत्र में पांच प्रमुख प्रतिस्पर्धी अर्थात् रूंगटा माइंस लिमिटेड, सेराजुद्दीन एंड कॉ., एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रिज लि., मै. कमलजीत सिंह आहलूवालिया तथा मै. इन्द्राणी पटनायक तथा सार्वजनिक क्षेत्र में एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी अर्थात् ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एक राज्य सरकार कम्पनी) को तुलनात्मक विश्लेषण के प्रयोजन हेतु चयनित किया गया।

2015-16 से 2017-18 के दौरान एनएमडीसी लिमिटेड तथा उन छः प्रतिस्पर्धियों के लौह अयस्क उत्पादन की लागत²⁶ (रॉयल्टी तथा करो को छोड़कर) निम्नानुसार थी:

²⁶ सभी सत्त्वों (एनएमडीसी लिमिटेड को छोड़कर) की उत्पादन लागत भारतीय खान ब्यूरो और इस्पात एवं खान विभाग, उड़ीसा सरकार की एकीकृत खान एवं खनिज प्रबंधन प्रणाली, पर ऑनलाइन उपलब्ध डाटा से प्राप्त की गई थी। रूंगटा माइंस लिमिटेड तथा उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन, जिनकी उड़ीसा राज्य में एक से अधिक चालू खानें हैं, के संबंध में उत्पादन की औसत लागत पर विचार किया गया है।

तालिका 2.13: एनएमडीसी लिमिटेड तथा इसके प्रतिस्पर्धियों की उत्पादन लागत

(₹ प्रति टन)

क्र.सं.	सत्व	2015-16	2016-17	2017-18
1.	एनएमडीसी लिमिटेड	684	867	846
2.	रूंगटा माइंस लिमिटेड	446	384	379
3.	सिराजुद्दीन एंड कॉ.	642	687	656
4.	एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	521	439	453
5.	मै. कमलजीत सिंह आहलूवालिया	734	865	1504
6.	मै. इंद्राणी पटनायक	657	463	421
7.	ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	741	706	682

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि एनएमडीसी लिमिटेड की उत्पादन लागत वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान सार्वजनिक के साथ-साथ निजी क्षेत्र के इसके अधिकतर प्रतिस्पर्धियों से अधिक थी। ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लि. (ओएमसी) की उत्पादन लागत 2015-16 के दौरान एनएमडीसी से अधिक थी परन्तु एनएमडीसी की लागत में 2016-17 के दौरान तीव्र वृद्धि हुई जिसमें 2017-18 के दौरान मामूली कमी आई जबकि ओएमसी में इस अवधि के दौरान निरंतर गिरावट आई। परिणामस्वरूप, एनएमडीसी की उत्पादन लागत 2016-18 के दौरान ओएमसी की अपेक्षा 23-24 प्रतिशत अधिक थी। निजी क्षेत्र के प्रतिस्पर्धियों की तुलना में एनएमडीसी की उत्पादन लागत रूंगटा माइंस लिमिटेड, की अपेक्षा 53 प्रतिशत (2015-16), 126 प्रतिशत (2016-17) और 123 प्रतिशत (2017-18) अधिक थी, जिसकी सभी तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम उत्पादन लागत आई थी।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि एनएमडीसी भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के कुल उत्पादन के लगभग आधे और कुल घरेलू उत्पादन का लगभग पांचवे हिस्से का योगदान करता है, लेखापरीक्षा का मत है कि एनएमडीसी को प्रचालनात्मक दक्षता के उच्च स्तरों को प्राप्त करने के लिए इसकी उत्पादन लागत को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है।

प्रबंधन ने प्रचालन को अधिक तर्कसंगत बनाने के लेखापरीक्षा के सुझाव की सराहना करते हुए बताया (फरवरी 2019) कि उत्पादन लागत विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे प्रचालनों का स्केल, खदानों का स्तर, लौह एवं अपशिष्ट का स्ट्रिपिंग अनुपात, खनन प्रचालन की प्रकृति और सामाजिक एवं पर्यावरणीय दायित्व आदि। यह कारक तुलना हेतु चयनित

कंपनियों में स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त, एनएमडीसी की उत्पादन लागत कंपनी के कुछ विशेष कारकों जैसे सीआईएसएफ/सुरक्षा बलों पर किया गया व्यय, स्थानीय क्षेत्र विकास, खनन बंदी कार्य और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व आदि के कारण अधिक थी। कंपनी के विशेष व्यय को छोड़ने के बाद निवल लागत प्रति टन 2015-16 के दौरान ₹520, 2016-17 के दौरान ₹486 तथा 2017-18 के दौरान ₹486 निकाली गई।

कंपनी के विशेष व्यय को छोड़कर उत्पादन लागत पर विचार करने के बाद यह देखा गया कि सिराजुद्दीन एंड कं., मै. कमलजीत सिंह आहलुवालिया तथा ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की उत्पादन लागत की तुलना में एनएमडीसी की उत्पादन लागत 19-30 प्रतिशत (2015-16), 29-44 प्रतिशत (2016-17) और 26-68 प्रतिशत (2017-18) तक कम थी, तथापि, रूंगटा माइन्स लिमिटेड, जिसकी उत्पादन लागत न्यूनतम थी, की तुलना में 16 प्रतिशत (2015-16) से 28 प्रतिशत (2017-18) तक अधिक थी। इसके अलावा 2016-17 और 2017-18 के दौरान एनएमडीसी की उत्पादन लागत एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तुलना में क्रमशः 11 प्रतिशत और 7 प्रतिशत अधिक थी। अतः एनएमडीसी लिमिटेड लौह अयस्क की उत्पादन लागत को कम करने हेतु अधिक प्रयास कर सकता था।

उपरोक्त लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (अप्रैल 2019)।